कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comवेब-साईट jodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018/4882 दिनांकः– 05/10/2018

–:कार्यवाही विवरणः–

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018 को प्रातः 09.30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–''1'' पर है।

कम संख्या	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.		राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 584 मीन के रकबा 58 बीघा 17 बिस्वा में से 15 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले–आउट प्लान बाबत् । आवेदक :– श्री लाल बहादुर शास्त्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट जरिये अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गोदारा पत्नी स्व. श्री जितेन्द्र गोदारा (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. प्रकरण को पूर्व में ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23.08.2018 में निर्णयार्थ रखा गया जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया ''समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में प्रार्थी को पत्र लिखा जाकर किस स्तर की शैक्षणिक गतिविधि चाही गई है स्पष्ट करते हुए मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार आवश्यक पहुंच मार्ग की उपलब्धता उपरान्त आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।'' 2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदित भूमि तक अपनी स्वयं की भूमि में से 60 फीट सड़क आवेदित भूमि तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा संशोधित ले–आउट प्लान में 60 फीट सड़क दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है। उक्त सड़क की सुनिश्चितता बाबत् नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर से किया जाना आवश्यक है। 3. जोन द्वारा पूर्व में प्रेषित चैक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को खसरा संख्या 585/7 में से 40 फीट पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। खसरा संख्या 585/7, खसरा संख्या 587/7 मीन से लिंक है। खसरा संख्या 587/7 मीन जयपुर–जोधपुर मैन हाईवे पर स्थित है। खसरा संख्या 587/7 मीन व 585/7 के खातेदारों से रास्ते बाबत् समर्पणनामा लिया जाना अपेक्षित है। 4. जोन द्वारा पूर्व में प्रेषित चैकलिस्ट अनुसार आवेदन के साथ प्रस्तुत राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं है। सम्पूर्ण खसरा संख्या 584 का रेवन्यू मैप प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 01.07.2010 में राजस्व ग्राम बनाड़ के संबंध में राजस्व मानचित्र की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पन्न समस्या के निराकरण बाबत् पट्टाग्रहिता से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। 5. आवेदित भूमि का का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) की डीसीआर अनुसार 60 फीट पहुंच मार्ग पर शैक्षणिक (मिडिल स्कूल, कोचिंग सेन्टर, ट्रेनिंग सेन्टर व इन्स्टीट्यूट) गतिविधियां अनुज्ञेय की सकती है। 6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित ले–आउट प्लान को सुपरईम्पोज करवाया जाना अपेक्षित है।

			समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग की चौडाई 60 फीट रखी जावें, तथा उक्त की सुनिश्चिता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित ले–आउट प्लान को जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज करवाया जावें। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूगि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
2.		राजस्व ग्राम जालेली फोजदारा के खसरा संख्या 50 व 218 के रकबा 10.02.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान बाबत् । आवेदक :– श्रीमती गोमती पत्नी श्री भंवराराम (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) के अर्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 2. पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक 18 फीट चौडा कटाणी मार्ग राजस्व मानचित्र अनुसार उपलब्ध है। उक्त कटाण रास्ते के मार्गाधिकार के संबंध मे निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान व पटवारी द्वारा किये गये सुपरईम्पॉज मे भिन्नता होने से ले–आउट प्लान को सुपरईम्पॉज अनुसार संशोधित किया जाना अपेक्षित है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे दर्शित 40 फीट सडक सुपरईम्पॉज से बाहर होने से ले–आउट प्लान मे संशोधन अपेक्षित है। 5. पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि एल0टी लाईन से प्रभावित है, अतः ले–आउट प्लान पर एल0टी लाईन का अंकन मय क्षमता के करवाया जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी अपेक्षित है तथा खसरा संख्या 218 के समीप पानी की पाईप लाईन गुजर रही है जिसका अंकन भी ले–आउट प्लान पर करवाया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि तक उपलब्ध कटाणी मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। तथा उक्त की सुनिश्चिता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईम्पोज से बाहर स्थित क्षेत्र को छोडते हुए संशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10

			प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 4. पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि एल0टी लाईन से प्रभावित है, अतः ले–आउट प्लान पर एल0टी लाईन का अंकन मय क्षमता के करवाया जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
3.		राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 566/3/1 रकबा 02.15 बीघा में से 01 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले–आउट प्लान बाबत्। आवेदक :– श्री तुलछीराम पुत्र श्री मोहनराम (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार पूर्व में प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण रकबा 02.15 बीघा की पत्रावली प्रस्तुत की गयी थी। तत्पश्चात ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23.08.2018 में प्रकरण निर्णय हेतु रखा गया था, जिसमें विचार–विमर्श उपरान्त मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर नहीं होने से तथा भवन विनियम के प्रावधानों अनुसार सैटबैक उपरान्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं होने से प्रकरण को निरस्त किया गया था। 2. वर्तमान में प्रार्थी द्वारा 1 बीघा भूमि का आवासीय ले–आउट प्लान प्रस्तुत कर अनुमोदन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ आरक्षित है। प्राधिकरण द्वारा मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर स्वीकृत की गई है उक्तानुसार 80 फीट व उससे अधिक मार्गाधिकार पर फ्लेटस्/अपार्टमेन्ट अनुज्ञेय किये जा सकते है। 4. आवेदित भूमि मुख्य जयपुर सड़क पर स्थित है, जिस पर सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखते हुये सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि मुख्य जयपुर सड़क पर स्थित है, जिसका सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखते हुये सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक,

			वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 5. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारुप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
4.		राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/9 का रकबा 31.05.05 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ(योजना) ले–आउट प्लान बाबत् । आवेदक :– श्री परिक्षित सिंह पुत्र श्री राव राजा हुकमसिंह (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा सरदारसमंद सडक का मार्गाधिकार 120 फीट की श्रेणी मे आरक्षित है। 2. जोन की चैक लिस्ट अनुसार कुल रकबा 94–10 बीघा मे से पूर्व मे 40 बीघा भूमि का आवेदन पेश किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 26.07.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 31 बीघा 5 बिस्वा 05 बिस्वांसी भूमि का ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। 3. जोन की चैक लिस्ट अनुसार सडक क्षैत्र मे एच0टी लाईन स्थित है, जिसकी क्षमता प्राप्त करते हुये अंकन ले–आउट प्लान पर करवाया जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी रखी जानी अपेक्षित है। 4. जोन की चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार(राजस्व) की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है, परन्तु पत्रावली के पृष्ठ संख्या–43 पर संलग्न है जिसके अनुसार आवेदित भूमि एयरपोर्ट, आर्मि एरिया, मिसाईल क्षेत्र एवं बमडम एरिया से प्रभावित नही है। 5. नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प. 10(7)नविवि/3/2009 पार्ट–3 जयपुर दिनांक 14.05.2018 अनुसार "जोधपुर एवं उदयपुर एयरपोर्ट की 1000 मीटर की परिधि मे भवन मानचित्र अनुज्ञेय किये जाने के संबंध मे जिला कलेक्टर, निदेशक एयरपोर्ट आर्थोरिटी एवं पुलिस अधिकारीयो (इन्टेलिजेन्स विंग सहित) की बैठक आयोजित कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार किये जाकर इस विभाग को प्रेषित किये जावे"। 6. आवेदित भूमि बमडम क्षेत्र से 900 मीटर की दुरी से प्रभावित है अथवा नही बाबत जोन से टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। 7. प्राप्त जानकारी अनुसार जोधपुर के खसरा संख्या–632 पर न्यायालय मे काफी वाद लम्बित है, अतः आवेदित भूमि पर न्यायालय मे कोई वाद है अथवा नही की सुनिश्चितता विधिक राय लेते हुये जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है। 8. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर की बैठक कार्यवाही विवरण कमांक.प.17 न्यायिक/हवाई अडडा/2006/3837 दिनांक 02.12.2001 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया सुरक्षा एवं महत्वता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वायु सेना के हवाई अडडे तथा उसके अवस्थापना क्षेत्रों में 900 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी प्रकार का भवन अथवा ढांचा निर्माण की अनुमति नहीं दी जावें तथा न ही इस क्षेत्र में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के तहत नियमन/रूपान्तरण कर आवासीय पटटे जारी करने की कार्यवाही की जावें। अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना

		दिनांक 22.05.2001 एवं कार्यालय आदेश दिनांक 03.10.2001 के द्वारा जारी किया आदेश को सुरक्षा, संवेदनशीलता एवं महत्वता को मद्देनजर रखते हुए आदेश की पूर्वानुसार पालना सुनिश्चिता की जावे तथा इस क्षेत्र की भूमियों के संबंध में नियमन एंव रूपान्तरण की कार्यवाही नही की जावें। 9. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे आर्मी एरिया स्थित है, जिससे नियमानुसार सुरक्षित दुरी रखी जानी अपेक्षित है जिसमे किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। 10. तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 24.09.2018 मे "उक्त खसरे से संबंधित कार्यवाही को न्यायिक निर्णय एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिती स्पष्ट होने तक संपरिवर्तन की कोई कार्यवाही नही की जावे। उक्त खसरे की स्थिती स्पष्ट होने के बाद ही स्पष्ट रिपोर्ट किया जाना सम्भव है" का उल्लेख है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या–10 अनुसार प्रकरण को स्थगित रखे जानें का निर्णय लिया गया।**
5.	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/3 रकबा 52.13 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान–3ए के अन्तर्गत) ले–आउट प्लान बाबत्। आवेदक :– टेशन डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री सोहनराज सुराणा पुत्र श्री सोनराज सुराणा। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि आर्मी एरिया से 20 फीट दूरी पर स्थित है। मौके पर चार दीवारी व ग्रेवल सडक निर्मित है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार ओ.सी.एफ. (अन्य सामुदायिक सुविधाओं) प्रयोजनार्थ आरक्षित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 20 अप्रैल 2017 के अनुसार प्रभावी मास्टर प्लान 2023 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत आवास निर्माण को प्लान्टेंशन बेल्ट, ईकोलोजिकल जोन आदि को छोडकर प्रभावी मास्टर प्लान के अन्य सभी भू–उपयोगों में अनुज्ञेय उपयोग की श्रेणी में रखा गया है। 3. जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवेदित भूमि के उतर दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 160 फीट व पूर्व दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 120 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। 4. आवेदित भूमि हवाई अडडे की सीमा से 2 कि0मी0 की दूरी के भीतर स्थित है। अतः एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार आवेदित भूमि पर निर्माण से पूर्व नागरिक उडडयन विभाग की अनापत्ति लिया जाना अपेक्षित है। 5. आयोजना शाखा की पत्रावली के पैरा संख्या 06 पर उपायुक्त द्वारा की गयी टिप्पणी में निम्ननानुसार उल्लेख है "प्रार्थी को अवगत करवाया गया कि उनके स्वयं के द्वारा दायर वाद में यथास्थिति के आदेश किए हुये है। अतः उसे विड्रो करनें की कार्यवाही करें जिस पर आवेदक द्वारा सहमति जताई गयी।" साथ ही विधि शाखा की रिपोर्ट आयोजना शाखा की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 13–14 पर संलग्न है। 6. आवेदित भूमि के समीप ही आर्मी एरिया स्थित है, जिससे नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी अपेक्षित है। 7. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में सडक दर्शायी गयी है, उक्त सडक के मार्गाधिकार बाबत् निर्णय समिति द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार मे पारित निर्णय के बिन्दु**

			संख्या–xi (p-248 of 257) के परिपेक्ष्य मे राज्य सरकार से पुनः मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने बाबत पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया।
6.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 36/2 रकबा 07.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान बाबत् । आवेदक :– श्री मनोज गहलोत पुत्र श्री सोहनलाल गहलोत (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षैत्र मे आवासीय गतिविधियॉ अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुॅच मार्ग ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या–347 व 347/1 से 347/6 की अनुमोदित योजना के भूखण्ड संख्या–57 व 58 के मध्य स्थित 40 फीट से जरिये ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या–36/4 व 39/1, 39/1/1 की प्रस्तावित व आवेदित योजना मे से प्राप्त हो रहा है। उक्त सडक की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान व पटवारी द्वारा सुपरईपॉज मे भिन्नता होने से सुपरईपॉज अनुसार संशोधित ले–आउट प्लान लिये जाने अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुॅच मार्ग ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या–347 व 347/1 से 347/6 की अनुमोदित योजना के भूखण्ड संख्या–57 व 58 के मध्य स्थित 40 फीट से जरिये ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या–36/4 व 39/1, 39/1/1 की प्रस्तावित व आवेदित योजना मे से प्राप्त हो रहा है। उक्त सडक की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज से बाहर स्थित क्षेत्र को छोडते हुए सशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
7.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 39/2 व 39/4 रकबा 06.01 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान बाबत् ।	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ

		आवेदक :– श्री आनन्द सिंह, श्री तेजाराम, श्री लालचन्द वगैरह। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	आरक्षित क्षेत्र मे आवासीय गतिविधियॉ अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुॅच मार्ग ग्राम झालामण्ड के आवेदित एवं प्रस्तावित खसरा संख्या–39/1/1 के 40 फीट सडक से लिंक है, उक्त सडक की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है। 3. नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक 7435 दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 12 मीटर चौडा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90– क की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। 4. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एक एल0टी लाईन गुजर रही है, उक्त एल0टी लाईन को सडक भाग पर शिफ्ट करने हेतु आवेदक ने शपथ–पत्र पेश किया है। 5. पत्रावली मे संलग्न प्रारूप–7 अनुसार आवेदित भूमि मे एक मंदिर निर्मित है, जिसे ले–आउट प्लान में मंदिर दर्शाया गया है, तथा जिसके तीन तरफ दीवार निर्मित है। 6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान व पटवारी द्वारा सुपरईपॉज मे भिन्नता होने से सुपरईपॉज अनुसार संशोधित ले–आउट प्लान लिये जाने अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तो के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुॅच मार्ग ग्राम झालामण्ड के आवेदित एवं प्रस्तावित खसरा संख्या–39/1/1 के 40 फीट सडक से लिंक है, उक्त सडक की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज से बाहर स्थित क्षेत्र को छोडते हुए सशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
8.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 36, 39/1, 39/1/2, 39/1/3, 39/1/4 व 39/1/5 रकबा 11.02.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान बाबत् ।	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2023 अनुसार अवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान अनुसार आवासीय भू–उपयोग मे आवासीय गतिविधियॉ अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार

		आवेदक :— श्रीमती गणकी देवी, श्री आनन्दराम यू राठौड़, श्री किशनाराम, श्री शंकर, श्री प्रभुराम वर्गरह। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या—39/1/1 के प्रस्तावित व आवेदित योजना क्षैत्र मे से 40 फीट से लिंक है। 3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले—आउट प्लान में न्यूनतम आवश्यक 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क हेतु भूमि आरक्षित नही की गई है अतः उक्त का प्रावधान करते हुए सशोधित मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है। 4. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदक द्वारा आवेदन खसरा संख्या—36, 39/1, 39/1/2, 39/1/3, 39/1/4, व 39/1/5 का किया गया है, परन्तु सुपरईपॉज ले—आउट प्लान पर खसरा संख्या—39/1 व 36/4 अंकित है। 5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले—आउट प्लान व पटवारी द्वारा सुपरईम्पोज मे भिन्नता होने से सुपरईपॉज अनुसार संशोधित ले—आउट प्लान लिये जाने अपेक्षित है। 6. नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक 7435 दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 12 मीटर चौडा उपलब्ध नहीं है, तो धारा 90—क की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले—आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया —** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच गार्ग ग्राग झालामण्ड के खसरा संख्या—39/1/1 के प्रस्तावित व आवेदित योजना क्षैत्र मे से 40 फीट से लिंक है। उक्त पहुँच मार्ग की सुनिश्चिता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले—आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज से भिन्नता होने से सशोधित ले—आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले—आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले—आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशारानिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)—जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले—आउट प्लान जारी किया जावे।
9.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 39/1/1 रकबा 08 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले—आउट प्लान बाबत्। आवेदक :— श्री आनन्दराम यू राठौड़, श्रीमती सीमा, श्री नारायण लाल वगैराह। (जोन पूर्व)	**समिति को अवगत करवाया गया कि :—** 1. आवेदित भूमि का भू—उपयोग मास्टर प्लान 2023 अनुसार अवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान अनुसार आवासीय भू—उपयोग मे आवासीय गतिविधियॉ अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या—347 व 347/1 से 347/6 की

		भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	अनुमोदित योजना मे भूखण्ड संख्या–57 व 58 के मध्य स्थित 40 फीट से लिंक है। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान व पटवारी द्वारा सुपरईम्पोज मे भिन्नता होने से सुपरईपॉज अनुसार संशोधित ले–आउट प्लान लिये जाने अपेक्षित है। 4. नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक 7435 दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 12 मीटर चौडा उपलब्ध नहीं है, तो धारा 90–क की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या–347 व 347/1 से 347/6 की अनुमोदित योजना मे भूखण्ड संख्या–57 व 58 के मध्य स्थित 40 फीट से लिंक है। उक्त पहुँच मार्ग की सुनिश्चिता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 हैं0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज से भिन्नता होने से सशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारुप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारुप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
10.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 767/1 मीन रकबा 06.12.10 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान बाबत् । आवेदक :– श्री ओमाराम श्री तुलसीराम। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारुप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षैत्र मे आवासीय गतिविधियां अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग 80 फीट खसरा संख्या– 766/2 की गैर अनुमोदित योजना (मगल विहार योजना) से भूखण्ड संख्या– 79 व 78 के पत्रावली मे संलग्न मानचित्र अनुसार 40 फीट रोड आवेदित भूमि के भूखण्ड संख्या– 1 व 52 के मध्य स्थित रोड से लिंक है। उक्त सडक की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एच0टी लाईन गुजर

			रही है, जिसकी क्षमता व स्थिति बाबत टिप्पणी जोन पटवारी से ली जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी अपेक्षित है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क हेतु भूमि आरक्षित नही कि गई है अतः उक्त का प्रावधान करते हुए सशोधित मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है। 5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान व पटवारी द्वारा सुपरईम्पोज मे भिन्नता होने से सुपरईपॉज अनुसार संशोधित ले–आउट प्लान लिये जाने अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुॅच मार्ग 80 फीट खसरा संख्या– 766/2 की गैर अनुमोदित योजना (मगल विहार योजना) से भूखण्ड संख्या– 79 व 78 के पत्रावली मे संलग्न मानचित्र अनुसार 40 फीट रोड आवेदित भूमि के भूखण्ड संख्या– 1 व 52 के मध्य स्थित रोड से लिंक है। उक्त पहुॅच मार्ग की सुनिश्चिता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विकय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एच0टी लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता व स्थिति बाबत टिप्पणी जोन पटवारी से ली जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावे। 4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज से भिन्नता होने से सशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
11.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 767/1 मीन 3 रकबा 06.15.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान बाबत् । आवेदक :– श्री राणाराम पुत्र श्री खेमाराम मेघवाल। (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र मे आवासीय गतिविधियॉ अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुॅच मार्ग 80 फीट खसरा संख्या– 767/1 मीन की प्रस्तावित योजना से मिल रहा है। उक्त सडक की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है।

		भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	3. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एच0टी लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता व स्थित बाबत टिप्पणी जोन पटवारी से ली जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी रखी जानी अपेक्षित है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क हेतु भूमि आरक्षित नही कि गई है अतः उक्त का प्रावधान करते हुए सशोधित मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है। 5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान व पटवारी द्वारा सुपरईपॉज मे भिन्नता होने से सुपरईपॉज अनुसार संशोधित ले–आउट प्लान लिये जाने अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग 80 फीट खसरा संख्या– 767/1 मीन की प्रस्तावित योजना से मिल रहा है। उक्त पहुँच मार्ग की सुनिश्चिता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एच0टी लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता व स्थिति बाबत टिप्पणी जोन पटवारी से ली जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी होगी। 4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज से भिन्नता होने से सशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
12.		राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/9 रकबा 23.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान बाबत् । आवेदकः– कुमारी जयनन्दिनी सिंह पुत्री स्व. श्री रावराजा हुकमसिंह। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा सरदारसमंद सडक का मार्गाधिकार 120 फीट की श्रेणी मे आरक्षित है। 2. जोन की चैक लिस्ट अनुसार सडक क्षेत्र मे एच0टी लाईन स्थित है, जिसकी क्षमता प्राप्त करते हुये अंकन ले–आउट प्लान पर करवाया जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी रखी जानी अपेक्षित है। 3. जोन की चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार(जो0वि0प्रा) की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि एयरपोर्ट, आर्मि एरिया, मिसाईल क्षेत्र एवं बमडम एरिया से प्रभावित नही है।

.		08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	4. नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प. 10(7)नविवि/3/2009 पार्ट–3 जयपुर दिनांक 14.05.2018 अनुसार "जोधपुर एवं उदयपुर एयरपोर्ट की 1000 मीटर की परिधि मे भवन मानचित्र अनुज्ञेय किये जाने के संबंध मे जिला कलेक्टर, निदेशक एयरपोर्ट आर्थोरिटी एवं पुलिस अधिकारीयो (इन्टेलिजेन्स विंग सहित) की बैठक आयोजित कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार किये जाकर इस विभाग को प्रेषित किये जावे"। 5. आवेदित भूमि बमडम क्षैत्र से 900 मीटर की दुरी से प्रभावित है अथवा नही बाबत जोन से टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। 6. प्राप्त जानकारी अनुसार जोधपुर के खसरा संख्या–632 पर न्यायालय मे काफी वाद लम्बित है, अतः आवेदित भूमि पर न्यायालय मे कोई वाद है अथवा नही की सुनिश्चितता विधिक राय लेते हुये जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है। 7. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर की बैठक कार्यवाही विवरण कमांक.प.17 न्यायिक/हवाई अडडा/2006/3837 दिनांक 02.12.2001 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया "सुरक्षा एवं महत्वता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वायु सेना के हवाई अडडे तथा उसके अवस्थापना क्षेत्रों में 900 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी प्रकार का भवन अथवा ढांचा निर्माण की अनुमति नहीं दी जावें तथा न ही इस क्षेत्र में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के तहत नियमन/रूपान्तरण कर आवासीय पटटे जारी करने की कार्यवाही की जावें। अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 22.05.2001 एवं कार्यालय आदेश दिनांक 03.10.2001 के द्वारा जारी किया आदेश को सुरक्षा, संवेदनशीलता एवं महत्वता को मद्देनजर रखते हुए आदेश की पूर्वानुसार पालना सुनिश्चिता की जावे तथा इस क्षेत्र की भूमियों के संबंध में नियमन एंव रूपान्तरण की कार्यवाही नही की जावें।" 8. प्रारूप–7 अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा मे आर्मी एरिया स्थित है, जिससे नियमानुसार सुरक्षित दुरी रखी जानी अपेक्षित है जिसमे किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। 9. तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 24.09.2018 मे "उक्त खसरे से संबंधित कार्यवाही को न्यायिक निर्णय एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिती स्पष्ट होने तक संपरिवर्तन की कोई कार्यवाही नही की जावे। उक्त खसरे की स्थिती स्पष्ट होने के बाद ही स्पष्ट रिपोर्ट किया जाना सम्भव है" का उल्लेख है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या–09 अनुसार प्रकरण को स्थगित रखे जानें का निर्णय लिया गया।**
13.		राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 17/1 रकबा 57.15 बीघा में से 00.07.05 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले–आउट प्लान बाबत् । आवेदकः– विरमाराम पुत्र श्री देवाराम जरिये आम मुख्त्यार श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र मे आवासीय गतिविधियॉ अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को पूर्व मे अनुमोदित खसरा संख्या–17/9 हेतु आवेदक द्वारा समर्पित की भूमि मे से 40 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार खसरा संख्या 17/1 कुल रकबा 57.15.00 बीघा में से 00.07.05 बीघा भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में वाद लम्बित होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखा गया तथा आयुक्त, नगर निगम से उक्त संबंध मे रिपोर्ट प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**
14.		राजस्व ग्राम सोढेर की ढाणी के खसरा संख्या	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–**

		233 रकबा 35.15 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट बाबत् । आवेदक :– श्री जसाराम पुत्र श्री लालूराम। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार आवासीय हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) की डी.सी.आर अनुसार आवासीय भू–उपयोग मे आवासीय योजना 60 फीट से अधिक सडकों पर अनुज्ञेय की जा सकती है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 40 फीट है साथ ही आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 4 है0 से अधिक होने से नियमानुसार 80 फीट सडक मार्गाधिकार आवश्यक है। 3. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे राजस्व रास्ता स्थित है, जिसका मार्गाधिकार प्रस्तावित ले–आउट प्लान मे 100 फीट प्रस्तावित किया गया है। उक्त राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी हेतु 2.86 प्रतिशत क्षैत्र आरक्षित किया गया है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से अधिक की योजनाओ मे नियमानुसार 10 प्रतिशत क्षैत्रफल ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी हेतु आरक्षित किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्तानुसार ले–आउट प्लान मे संशोधन आवश्यक है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे तथा आवेदित भूमि मे से गुजर रही मास्टर प्लान की 100 फीट सडक का प्रावधान भी ले–आउट प्लान पर किया जावे। 2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी हेतु 2.86 प्रतिशत क्षैत्र आरक्षित किया गया है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से अधिक की योजनाओ मे नियमानुसार 10 प्रतिशत क्षैत्रफल ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी हेतु आरक्षित किया जावे, तथा टाउनशिप पॉलिसी के अन्य प्रावधानोंनुसार सशोधित ले–आउट प्लान लिया जावें। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज से भिन्नता होने से सशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व गौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
15.		राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 136/77 मीन रकबा 07.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत् ।	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031(प्रारूप) अनुसार भू–उपयोग आवासीय व आंशिक

		आवेदक :– श्रीमती सुशीला पत्नि श्री मदनलाल (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	भाग नदी के सहारे–सहारे वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार आवासीय भू–उपयोग मे 60 फीट व उससे अधिक की सडको पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जा सकती है। 2. जोन चैक लिस्ट आवेदक द्वारा आवासीय एकल भूखण्ड के अनुमोदन हेतु आवेदन पेश किया गया है। आवेदित भूमि को 80 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है। मौके पर एक कमरा मय चारदीवारी निर्मित है। प्राधिकरण के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के उत्तर–पश्चिमी दिशा के आगे जोजरी नदी स्थित है। 3. प्रकरण मे विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की सीमा की दुरी बाबत टिप्पणी जोन से प्राप्त की जानी अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर–पश्चिमी दिशा के आगे जोजरी नदी स्थित है, उक्त नदी की सीमा के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जावे। 2. प्रकरण मे विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की सीमा की दुरी बाबत टिप्पणी जोन से प्राप्त की जावें। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
16.		राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 31/2 रकबा 30.00.00 बीघा में से 10.17.06 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत् । आवेदक :– श्रीमती सुवटी पत्नि स्व. श्री भीकाराम (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031(प्रारूप) अनुसार भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार आवासीय भू–उपयोग मे 60 फीट व उससे अधिक की सडको पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जा सकती है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है। आवेदित भूमि एकल खातेदारी की है, जिसका कुल रकबा–30 बीघा है जिसमे से 10–17–06 बीघा भूमि का आवेदन किया गया है। मौके पर भूमि खाली है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है, उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विकय योग्य भूमि के 10

			प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज से भिन्नता होने से सशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
17.		राजस्व ग्राम विनायकिया के खसरा संख्या 87/2, 87/1 मीन व 87/3 रकबा 05.00.00 बीघा भूमि का आवासीय (योजना) प्रयोजनार्थ योजना बाबत्। आवेदक :– श्रीमती द्रौपदी चौधरी पत्नि श्री पूनाराम चौधरी, श्रीमती स्नेहलता पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री विभिषेकपाल सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भू–उपयोग मे आवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है। 2. जोन की चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 80 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे उक्त सडक को 100 फीट दर्शाया गया है। आवेदित भूमि एयरफॉर्स की बाउड्री वॉल से दुरी 160 से 165 मीटर है। आवेदित भूमि व एयरफॉर्स की बाउड्री वॉल के मध्य खसरा संख्या–88 व 90 का ले–आउट प्लान प्राधिकरण से पूर्व मे अनुमोदित है। 3. आवेदित भूमि हवाई अडडे की सीमा से 2 कि0मी0 की दूरी के भीतर स्थित है। अतः एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार आवेदित भूमि पर निर्माण से पूर्व नागरिक उडडयन विभाग की अनापत्ति लिया जाना अपेक्षित है। 4. प्रस्तावित ले–आउट प्लान राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी–2010 के प्रावधान अनुसार आवश्यक संशोधन अपेक्षित है, अतः नियमानुसार आवश्यक संशोधन उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. जोन की चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 80 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे उक्त सडक को 100 फीट दर्शाया गया है। उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजनाओ मे विकय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. आवेदित भूमि हवाई अडडे की सीमा से 2 कि0मी0 की दूरी के भीतर स्थित है। अतः एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार आवेदित भूमि पर निर्माण से पूर्व नागरिक उडडयन विभाग की अनापत्ति ली जावें।

			4. प्रस्तावित ले–आउट प्लान राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी–2010 के प्रावधान अनुसार आवश्यक संशोधन अपेक्षित है, अतः नियमानुसार आवश्यक संशोधन उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
18.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 86 रकबा 37.09 बीघा में से आवेदको की भूमि का कुल रकबा 8611.53 वर्गगज है, जिसमें से 8427.77 वर्गगज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत् । आवेदक :– श्री घीसाराम पुत्र श्री धनजी पंवार, श्री इन्दाराम पुत्र श्री लच्छीराम, श्री भल्लाराम पुत्र श्री लच्छीराम, श्री छोटुराम पुत्र श्री नैनाराम व श्री मदनलाल पुत्र श्री बन्नाराम। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. प्रकरण को पूर्व मे ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23.08.2018 को निर्णयार्थ रखा गया जिसमे समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि की तरमीम नही होने से प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया। 2. आवेदित भूमि का भू उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवेदित भूमि जोधपुर–जयपुर डांगियावास बाईपास पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जानी अपेक्षित है। 3. जोन की चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट रोड, जोधपुर से जयपुर डांगियावास बाईपास पर स्थित है। मौके पर 8 दुकाने निर्मित, 1 धर्मकांटा व चारे की टाल संचालित है। शेष भूमि पर चारदीवारी निर्मित है। आवेदित भूमि में से मदनलाल के हिस्से को छोड शेष भूमि (7353.13 वर्गगज) की 90–बी की जाकर नामान्तरण नगर विकास न्यास, जोधपुर के नाम दर्ज है। पत्रावली के पृष्ठ संख्या 44 पर तरमीग शुदा नक्शा ट्रेस संलग्न है। 4. प्रकरण में पत्रावली के पैरा संख्या एन/4 पर निदेशक आयोजना द्वारा आवेदित भूमि के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में स्थित सडकों के संबध में चाही गयी जानकारी के कम में पत्रावली के पैरा संख्या एन/6 अवलोकनीय है जिसके अनुसार भूमि के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में स्थित सडकों में आवेदकों की भूमि भी सम्मिलित है, परन्तु ले–आउट प्लान में पटवारी द्वारा किये गये सुपरइम्पोज में सडकों की भूमि सम्मिलित नही की गयी है। 5. आवेदित भूमि में स्थित व्यवसायिक निर्माण के संबध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि जोधपुर–जयपुर डांगियावास बाईपास पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जावे।

			2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या–04 के क्रम मे जोन से रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 3. आवेदित भूमि में स्थित अवैध निर्माण को हटाये जाने की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जानी होगीं। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
19.		राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 140/3 रकबा 02.02 बीघा भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत् । आवेदक :– श्री दयानिधि कासलीवाल एच.यू.एफ कर्ता श्री दयानिधि कासलीवाल पुत्र श्री कमल। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031(प्रारूप) अनुसार भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवेदित भूमि उचियारडा से डांगियावास की ओर जाने वाली सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 160 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार आवासीय भू–उपयोग मे 40 फीट व उससे अधिक की सडको पर सडक की चौडाई अनुसार विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियॉ अनुज्ञेय की जा सकती है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 100 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है। जोन चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 3(एफ) में खसरा संख्या 104/3 उलेखित है प्रार्थी द्वारा 140/3 का आवेदन किया गया है। 3. प्रकरण में जोन पटवारी द्वारा आवेदित भूमि की सडक मध्य से दूरी के सन्दर्भ में टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि उचियारडा से डांगियावास की ओर जाने वाली सडक पर स्थित हैं उक्त सडक का मार्गाधिकार 160 फीट रखा जावें। 2. जोन चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 3(एफ) में खसरा संख्या 104/3 उलेखित है प्रार्थी द्वारा 140/3 का आवेदन किया गया है, के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावें। 3. प्रकरण में जोन पटवारी द्वारा आवेदित भूमि की सडक मध्य से दूरी के सन्दर्भ में जोन टिप्पणी ली जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।

			6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
20.		राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 346/4 रकबा 10.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (ले–आउट) बाबत् । आवेदक :– श्री मोतीराम पुत्र श्री घेवरराम वगैरह। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031(प्रारूप) अनुसार भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार आवासीय भू–उपयोग मे 60 फीट व उससे अधिक की सडको पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जा सकती है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है, जो राजस्व मानचित्र अनुसार कटाणी मार्ग है। उक्त कटाण रास्ते के मार्गाधिकार के निर्धारण बाबत् निर्णय समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु 02 के कम मे उक्त कटाण रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विकय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पटटा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
21.		राजस्व ग्राम बिसलपुर के खसरा संख्या 204 रकबा 10.19.00 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत् । आवेदक :– श्रीमती जयश्री पत्नि श्री सुनिल नोगिया व श्रीमती शांति देवी पत्नि श्री हनुमानराम नवल। (जोन पूर्व)	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) के अर्तगत यू–3 प्रयोजनार्थ आरक्षित है, मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार यू–3 प्रयोजनार्थ आरक्षित भू–उपयोग मे शैक्षणिक गतिविधियॉ अनुज्ञेय की जा सकती है। जोधपुर–जयपुर हाइवे का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जानी है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 100 फीट

		भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	जोधपुर–जयपुर हाइवे पर स्थित है। 3. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे कटान रास्ता स्थिम है, जिसे ले–आउट प्लान मे 60 फीट दर्शाया गया है। उक्त कटान रास्ते के मार्गाधिकार बाबत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 4. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन ले–आउट प्लान पर करवाया जाना व सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोधपुर–जयपुर हाइवे का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जावे। 2. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे स्थित कटान रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन ले–आउट प्लान पर करवाया जावे व सुरक्षात्मक दूरी रखी जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
22.		राजस्व ग्राम देवलिया के खसरा संख्या 64/5 रकबा 05.02.00 बीधा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– डॉ. मंजुला चौधरी पत्नि श्री बद्रीराम चौधरी। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्रकरण में प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की मौका–रिपोर्ट अनुसार मौके पर स्विमिंग पूल व रेस्टोरेण्ट संचालित है। अस्तबल, टिनशैड व पक्का निर्माण है तथा निर्माण कार्य भी चल रहा है। आवेदित भूमि की तरमीम, ना ही पंजीबद्ध दस्तावेज में में पडौस दर्शाये गये है। नक्शे के प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में शिथिलता दी गई है। मौके पर एच. टी. लाईन, घरेलू इलेक्ट्रीक लाईन व ट्रांसफॉर्मर है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित खसरा संख्या 64/5 का कुल रकबा 15 बीघा है, जिसमें से आवेदक की 5–02 बीघा की खातेदारी है। भूमि संयुक्त खातेदारी की है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है, मिश्रित भू–उपयोग की डी.सी.आर. नहीं बनी होने से उक्त गतिविधि अनुज्ञेय किये जाने अथवा नही किये जाने बाबत् निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से बाहर स्थित होने से 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी अपेक्षित है। 5. आवेदित भूमि में से इलेक्ट्रीक लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता बाबत् रिपोर्ट लिया जाना अपेक्षित है।

			समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि जयपुर–जोधपुर हाईवे पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जावें। 2. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.07.2018 मे मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर अनुमोदित की गयी जिसके अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में 80 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर होटल अनुज्ञेय है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एच.टी व एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन में क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जावें व सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर / जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर / जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
23.		राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 102 व 103 रकबा 00.18.15 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री धोकलराम पुत्र श्री प्रतापराम। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08 / 2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित है। भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031(प्रारूप) मे मिश्रित भू–उपयोग की डी0सी0आर बनी हुयी नही है। आवेदित भूमि जोधपुर–जयपुर डांगियावास बाईपास पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जानी है। 2. जोन की चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि जोधपुर–जयपुर डांगियावास 100 फीट सडक पर स्थित है। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 102, 103 कुल रकबा 19 बिस्वा हेतु आवेदन पेश किया गया था किन्तु राजस्व मानचित्र में खसरा संख्या 103 की तरमीम नही थी, तथा तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में पेश किया गया कि खसरा सख्या 103 सडक सीमा में होने के कारण संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावें। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा सख्या 102, रकबा 18 बिस्वा 15 बिस्वांशी भूमि का ही नियमन हेतु निवेदन किया है। 3. प्रस्तुत मानचित्र मे खसरा संख्या–102 व 103 रकबा–00–19 बीघा का उल्लेख है परन्तु आवेदन अनुसार केवल 102 रकबा 00–18–15 बीघा का ही है तथा सुपरईम्पॉज भी खसरा संख्या–102 रकबा 00–18–15 बीघा का किया गया है, अतः संशोधित मानचित्र अपेक्षित है। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि जोधपुर–जयपुर डांगियावास बाईपास पर स्थित

			है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जावे। 2. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.07.2018 मे मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर अनुमोदित की गयी जिसके अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में 80 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर फ्लेटस/अपार्टमेन्ट अनुज्ञेय है। 3. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या–3 के क्रम मे संशोधित मानचित्र लिया जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
24.		राजस्व ग्राम नान्दड़ा कलां के खसरा संख्या 266, 266/1 रकबा 46.05.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती सुमन कट्टा पत्नि श्री चन्द्रप्रकाश कट्टा एवं डॉ. सत्यनारायण कट्टा पुत्र श्री स्व. श्री अनन्त कट्टा निवासी–घोडों का चौक, जोधपुर। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान – 2031(प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की डी.सी.आर. में आवासीय योजना को 18 मीटर (60 फीट) व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया जा सकता है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 265/2 में से 60 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है। 3. आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर से अधिक होने से नियमानुसार पहुंच मार्ग 80 फीट आवश्यक है तथा प्रस्तुत आवेदित भूमि को मात्र 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हैं। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण मे आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 265/2 में से 60 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है जबकि आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर से अधिक होने से नियमानुसार पहुंच मार्ग 80 फीट आवश्यक है। अतः आवेदित भूमि तक न्यनतम 80 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने की शर्त पर ले–आउट प्लान को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।**
25.		राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 113 रकबा 31–14 बीघा भूमि में से 12–07 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती दाकुडी पत्नि श्री रणजीतराम, श्री मांगीलाल पुत्र स्व. श्री सुराराम जरिये आम मुखत्यार श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री श्याम सिंह। (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) के अर्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भू–उपयोग मे आवासीय गतिविधियॉं अनुज्ञेय है। 2. पत्रावली के पैरा–6 पर मास्टर प्लान की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या–113 मे से एच0टी लाईन गुजर रही है, उक्त की सुनिश्चितता बाबत जोन पटवारी की रिपोर्ट ली जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी रखी जानी अपेक्षित है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौके अनुसार 40 फीट मार्गाधिकार ग्रेवल रोड मिल रही है। आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग ग्रेवल रोड ग्राम खारडा की आबादी भूमि से लेकर

		भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	डांगियावास बाईपास तक लिंक है। अतः उक्त राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार हेतु निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौके अनुसार 40 फीट मार्गाधिकार ग्रेवल रोड मिल रही है। उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विकय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एच.टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन में क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जावें व सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
26.		राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 148 रकबा 06.10.00 बीघा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ(एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री सिदाराम पुत्र श्री गिरधारीराम। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार मिश्रित उपयोग दर्शाया गया है, मास्टर प्लान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग उपयोग की डी0सी0आर बनी हुयी नही है तथा जोधपुर–डागियावास बाईपास का मार्गाधिकार 200 फीट व मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण रखी जानी है। अतः आवेदित भूमि का होटल प्रयोजनार्थ उपयोग अनुज्ञेय किये जाने के सम्बन्ध मे समिति द्वारा निर्णय अपेक्षित है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि जोधपुर से जयपुर 100 फीट डागियावास बाईपास पर स्थित है। आवेदित भमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है तथा मौके पर दो कमरे निर्मित है व व्यवसायिक गतिविधियॉ संचालित है। आवेदित भूमि के आगे खसरा संख्या–148/1 स्थित है, जो कि गैर.मु.सडक के रूप मे पी0डब्ल्यू0डी के खाते मे निहित है। 3. आवेदित भमि मे से गुजर रही एल0टी लाईन की क्षमता व एल0टी लाईन का ले–आउट प्लान पर अंकन जोन पटवारी से करवाया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि जोधपुर–डागियावास बाईपास पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जावें।

			2. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.07.2018 मे मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर अनुमोदित की गयी जिसके अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में 80 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर होटल अनुज्ञेय है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन में क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जावें व सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
27.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 204 व 204/2 रकबा 21.00.00 बीघा भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3 बी के अन्तर्गत) बाबत्। आवेदक :– मैसर्स विजन एसोसियेट जरिये भागीदार व अधिकृत प्रतिनिधि अमराराम कुमावत पुत्र श्री बालुराम कुमावत। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि के मार्गाधिकार का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान – 2023 के अनुसार हॉस्पिटल प्रयोजनार्थ आरक्षित है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत आवास निर्माण को प्लान्टेशन बेल्ट, ईकोलोजिकल जोन आदि को छोड़कर प्रभावी मास्टर प्लान के अन्य सभी भू–उपयोग की श्रेणी में रखा गया हैं। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3–बी के तहत आवेदन पेश किया गया है। आवेदित भूमि को 40 फीट कटाणी मार्ग पहुंच मार्ग के रूप में प्राप्त हो रहा है। 3. कार्यालय में राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632, 632/3 के एक अन्य विचाराधिन प्रकरण में वरिष्ठ स्तर पर सहमति नहीं होने से प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया हैं। अतः उक्त प्रकरण मे निर्णय उपरान्त ही प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में जोजरी नदी स्थित है, मास्टर प्लान अनुसार जोजरी नदी की सीमा उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी हैं। 5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित ले–आउट प्लान में व्यवसायिक क्षेत्र व सुविधा क्षेत्र 30 फीट सड़को पर प्रस्तावित किये गये हैं। प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत सेक्टर प्लान अनुसार आवश्यक प्रावधान किये जाने अपेक्षित है तथा सेक्टर प्लान के परिप्रेक्ष्य में भी जांच किया जाना अपेक्षित हैं। 6. आवेदित भूमि को 40 फीट कटाणी मार्ग पहुंच मार्ग के रूप में प्राप्त हो रहा है, उक्त कटाण रास्ते के मार्गाधिकार बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार मे पारित निर्णय के बिन्दु संख्या–xi (p-248 of 257) के परिपेक्ष्य मे राज्य सरकार से पुनः**

			मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने बाबत पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया।
28.		राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 36 रकबा 36.11.00 बीघा भूमि में से 12.07.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– भीकाराम पुत्र श्री बस्ताराम। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वी बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान –2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भू–उपयोग में आवासीय गतिविधियां अनुज्ञेय हैं। 2. आवेदित भूमि का कुल क्षैत्रफल–36.11 बीघा है जिस हेतु आवेदन करने पर नियमानुसार न्यूनतम 80 फीट पहुँच मार्ग आवश्यक है परन्तु आवेदक द्वारा 12.07 बीघा हेतु आवेदन किया गया है। 3. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। आवेदित भूमि को पूर्व में प्राधिकरण से अनुमोदित खसरा संख्या 50/6, 50/1 व 50/1/1 ग्राम खारड़ा रणधीर के योजना मानचित्र से 40 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पूर्व में प्राधिकरण से अनुमोदित खसरा संख्या 50/6, 50/1 व 50/1/1 ग्राम खारड़ा रणधीर के योजना मानचित्र से 40 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर की जानी होगी। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी बाबत जमा की जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
29.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 188/1 रकबा 08.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3 बी के अन्तर्गत) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती सुमन चारण पत्नि श्री परबतसिंह व श्रीमती उच्छब कंवर पत्नि श्री चैनसिंह। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 के अर्न्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे जोजरी नदी स्थित है। अतः नदी की राजस्व सीमा के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जानी अपेक्षित है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3–बी के तहत आवेदन पेश किया गया है। आवेदित भूमि को 40 फीट कटाणी मार्ग से मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि से एल.टी. लाईन गुजर रही है व आवेदित भूमि के पीछे जोजरी नदी स्थित है। 3. आवेदित भूमि कटाणी मार्ग पर स्थित है, जिसके मार्गाधिकार के निर्धारण बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे जोजरी नदी स्थित है, उक्त का

			अंकन ले–आउट प्लान करवाया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट कटाणी मार्ग से मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है, उक्त सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन में क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जावें व सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 3. आवेदित भूमि के पीछे जोजरी नदी स्थित है जिसकी सीमा से 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
30.		राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 127/3 रकबा 10.00.00 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री आनन्द भूतडा पत्नि श्री सोहन भूतडा, श्री प्रिमेश भूतडा पुत्र श्री साहन भूतडा व श्रीमति छवि भूतडा पत्नि श्री प्रिमेश भूतडा। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. प्रकरण को पूर्व में ले–आउट प्लान की बैठक दिनांक 23.08.2018 में निर्णयार्थ रखा गया जिसमें आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित जोधपुर उचियारडा सडक का मार्गाधिकार 160 फीट रखते हुए तथा ले–आउट अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। 2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा मे मुख्य शिकारगढ रोड पर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(प्रारूप) मे प्रस्तावित सर्कल का व्यास लगभग 650 फीट है तथा उक्त सर्कल से आवेदित भूमि भी प्रभावित है। अतः श्रीमान् निदेशक आयोजना के निदेशनुसार प्रकरण में मास्टर प्लान में प्रस्तावित उक्त सर्कल के व्यास के समबन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त उक्त सर्कल का व्यास जोनल प्लान प्रारूप के प्रस्ताव अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
31.		राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 84/1 व 84/2 रकबा 36.15.00 बीघा भूमि में से 29.10.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री रामप्रताप (जोन	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. प्रकरण को पूर्व मे ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.07.2016 में प्रकरण निर्णय हेतु रखा गया था, जिसमें विचार–विमर्श उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन मास्टर प्लान–2023 से भिन्न होने से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। 2. वर्तमान में जोन के पत्रांक 289, दिनांक 28.06.2018 द्वारा

		पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	प्रकरण मे मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार कार्यवाही किये जाने बाबत लिखा गया है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार आवासीय उपयोग मे न्यूनतम 60 फीट व उससे अधिक की सडको पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जा सकती है। अवेदित भूमि के सामने स्थित कटाणी मार्ग के मार्गाधिकार बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 4. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार व पटवारी जोविप्रा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को कटाण मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसे ले–आउट प्लान मे 60 फीट दर्शाया गया है। आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल–4 है0 से अधिक होने से नियमानुसार 80 फीट पहुँच मार्ग आवश्यक है। 5. कार्यालय मे राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या–87, 87/1, 87/2, 84/1 व 84/2 के आवासीय योजना के ले–आउट प्रकियाधिन है, जिनके आवेदक एक ही है। अतः दोनो प्रकरणो को सम्मिलित करते हुये एक्जाई ले–आउट प्लान हेतु आवेदन लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त कार्यालय मे राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या–87, 87/1, 87/2, 84/1, 84/2, 88, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5 व 88/6 के एक्जाई आवासीय योजना के ले–आउट प्लान निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को कटाण मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसे ले–आउट प्लान मे 60 फीट दर्शाया गया है। उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत भूमि के भूखण्ड ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी हेतु आरक्षित रखे जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
32.		राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 88, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5, 88/6 रकबा 33. 04.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्।	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. प्रकरण को पूर्व मे ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.07.2016 में प्रकरण निर्णय हेतु रखा गया था, जिसमें विचार–विमर्श उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन

		आवेदक :– बलवन्तराम पुत्र श्री रामचन्द्र। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	मास्टर प्लान–2023 से भिन्न होने से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। 2. वर्तमान में जोन के पत्रांक 287, दिनांक 28.06.2018 द्वारा प्रकरण मे मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार कार्यवाही किये जाने बाबत लिखा गया है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार आवासीय उपयोग मे न्यूनतम 60 फीट व उससे अधिक की सडको पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जा सकती है। 4. नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग के आदेश कमांक 7435 दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 12 मीटर चौडा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90–क की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। 5. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार व पटवारी जोविप्रा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि का कुल क्षैत्रफल–4 है0 से अधिक होने से नियमानुसार 80 फीट पहुँच मार्ग आवश्यक है। 6. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार व पटवारी जोविप्रा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है। खसरा संख्या 88 का रकबा 39.16.00 बीघा है, जिसमें बट्टा नम्बर लगने पर खसरा संख्या 88/4 रकबा 06.12.00 बीघा की खातेदार श्री खीयाराम के नाम दर्ज है जिसकी राजस्व नक्शे में तरमीम है। शेष समस्त रकबा 33.16.00 बीघा भूमि की खातेदारी आवेदक श्री राधाकृष्ण के नाम दर्ज है, जिसका सम्पूर्ण भूमि का आवेदन किया गया है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त कार्यालय मे राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या–87, 87/1, 87/2, 84/1, 84/2, 88, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5 व 88/6 के एक्जाई आवासीय योजना के ले–आउट प्लान निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को कटाण मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसे ले–आउट प्लान मे 60 फीट दर्शाया गया है। उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानुसार 2 है0 से अधिक क्षैत्रफल की योजनाओ मे विकय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत भूमि के भूखण्ड ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी हेतु आरक्षित रखे जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के

			परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
33.		राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 87, 87/1, 87/2 रकबा 46.17.10 बीघा भूमि में से 35.05.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री रामप्रताप। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. प्रकरण को पूर्व मे ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.07.2016 में प्रकरण निर्णय हेतु रखा गया था, जिसमें विचार–विमर्श उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन मास्टर प्लान–2023 से भिन्न होने से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। 2. वर्तमान में जोन के पत्रांक 288, दिनांक 28.06.2018 द्वारा प्रकरण मे मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार कार्यवाही किये जाने बाबत लिखा गया है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार आवासीय उपयोग मे न्यूनतम 60 फीट व उससे अधिक की सडको पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जा सकती है। 4. जोन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार व पटवारी जोविप्रा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि का कुल क्षैत्रफल–4 है0 से अधिक होने से नियमानुसार 80 फीट पहुँच मार्ग आवश्यक है। 5. नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक 7435 दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 12 मीटर चौडा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90–क की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। 6. कार्यालय मे राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या–87, 87/1, 87/2, 84/1 व 84/2 के आवासीय योजना के ले–आउट भी प्रकियाधीन है, जिनके आवेदक एक ही है। अतः दोनो प्रकरणो को सम्मिलित करते हुये एक्जाई ले–आउट प्लान हेतु आवेदन लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त कार्यालय मे राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या–87, 87/1, 87/2, 84/1, 84/2, 88, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5 व 88/6 के एक्जाई आवासीय योजना के ले–आउट प्लान निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को कटाण मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसे ले–आउट प्लान मे 60 फीट दर्शाया गया है। उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार 2 है0 से अधिक क्षैत्रफल की योजनाओ मे विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत भूमि के भूखण्ड ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी हेतु आरक्षित रखे जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी।

		6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
34.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 23/1 रकबा 728.46 वर्गमीटर भूमि का आवासीय (ई0डब्लु0एस/एल0आई0सी0) बाबत्। आवेदक :– जयनारायण पुत्र श्री पूनमचन्द लोहिया। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का ले–आउट प्लान प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 08.09.2010 के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.10.2010 द्वारा अनुमोदित है, प्रकरण मे वर्तमान मे पूर्व अनुमोदित ले–आउट प्लान मे दर्शाये गये एल0आई0जी–एच क्षैत्र का विस्तृत ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। 2. प्रस्तावित ले–आउट प्लान मे ई0डब्लु0एस का प्रावधान नही किया गया है, उक्त का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। 3. प्रकरण मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे प्रस्तावित कुछ एल0आई0जी भूखण्डो का क्षैत्रफल निर्धारित अधिकतम क्षैत्रफल से अधिक है, अतः ले–आउट मे आवश्यक संशोधन अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त विधि शाखा से विधिक राय प्राप्त करे तथा विज्ञप्ति आदि की समस्त कार्यवाही करके राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी–2010 अनुसार निदेशक आयोजना अपने स्तर पर उप–विभाजन की कार्यवाही करे।**
35.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 23/1 रकबा 534.37 वर्गमीटर भूमि का व्यवसायिक (ईन्फॉर्मल) बाबत्। आवेदक :– जयनारायण पुत्र श्री पूनमचन्द लोहिया। (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का ले–आउट प्लान प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 08.09.2010 के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.10.2010 द्वारा अनुमोदित है, प्रकरण मे वर्तमान मे पूर्व अनुमोदित ले–आउट प्लान मे दर्शाये गये व्यवसायिक (ईन्फॉर्मल) क्षैत्र का विस्तृत ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। 2. प्रार्थी द्वारा कुल क्षैत्रफल–534.19 वर्गमीटर का प्लान प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार व्यवसायिक (ईन्फॉर्मल) का क्षैत्रफल–557.42 वर्गमीटर होता है, अतः ले–आउट प्लान मे भवन विनियम व राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी के प्रावधानोनुसार संशोधन अपेक्षित है। 3. अनुमोदित ले–आउट प्लान मे दर्शाये गये कुल व्यवसायिक क्षैत्र मे से प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे 100 फीट बाई 100 फीट का व्यवसायिक का एकल पटटा जारी किया हुआ है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त विधि शाखा से विधिक राय प्राप्त करे तथा विज्ञप्ति आदि की समस्त कार्यवाही करके राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी–2010 अनुसार निदेशक आयोजना अपने स्तर पर उप–विभाजन की कार्यवाही करे।**
36.	राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 129/1 रकबा 4.15 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले–आउट प्लान बाबत्। आवेदकः– श्री बिरमाराम पुत्र श्री सुखाराम (जोन	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. प्रकरण में पूर्व में बीपीसी (एल.पी) की बैठक दिनांक 07.02.2018 में रखा जाकर फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन किया गया। 2. वर्तमान में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने

		पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	का निवेदन किया गया है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) रिपोर्ट अनुसार आवासीय उपयोग में आवासीय योजना 60 फीट व अधिक के मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय की जा सकती है। 4. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। 5. जोन की चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार व पटवारी जोविप्रा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि को 40 फीट एप्रोच सडक प्राप्त हो रही है तथा 100 फीट सडक से एल.टी लाईन गुजर रही है। अतः उक्त सडक के मार्गाधिकार बाबत् समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि सोडर की ढाणी से नान्दडा खुर्द जाने वाली सडक पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 5. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
37.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 465/2 रकबा 01.07.16 बीघा में से 00.18.06 बीघा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले–आउट प्लान बाबत्। आवेदकः– श्री न्याज मोहम्मद पुत्र श्री मो. सद्दीक एवं आर.ए चौधरी पुत्र श्री मुबारक अली (जोन पूर्व) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. प्रकरण में आवेदित भूमि की आयोजना शाखा की मूल पत्रावली रिकॉर्ड शाखा में भिजवाई जा चुकी है। अतः निदेशक आयोजना के निर्देशानुसार जोन से प्राप्त पत्रावली अनुसार एजेण्डा प्रारूप तैयार किया गया है। 2. प्रकरण में पूर्व में बीपीसी (एल.पी) की बैठक दिनांक 20.07.2016 एवं 01.10.2015 में प्रस्तुत किया गया। जिसके अन्तर्गत आवेदित भूमि पर सैटबैक क्षेत्र में अवैध निर्माण होने के कारण प्रकरण को निरस्त किया गया था। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार होटल जोन हेतु आरक्षित है एवं उक्त उपयोग में होटल गतिविधियां अनुज्ञेय है। मास्टर प्लान अनुसार खेजडला से एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सडक का मार्गाधिकार 100 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। 4. वर्तमान में प्रार्थी द्वारा कुल भूमि 2691.07 वर्गगज अर्थात 01.

			07.16 बीघा में से 1772.88 वर्गगज भूमि का होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निवेदन किया गया है। 5. जोन द्वारा पूर्व में प्रेषित चैकलिस्ट अनुसार (पृष्ठ सं.083 पर) प्रस्तावित भूमि तक पहुँच मार्ग प्रभावित है एवं ले–आउट प्लान समिति द्वारा इसका अनुमोदन नही किये जाने की अनुशंषा की गयी है। 6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट कटाणी मार्ग है, आवेदित भूमि पर गार्डन निर्मित है, चार दिवारी निर्मित है, निर्माण कार्य संचालित, एलिवेशन व डिजाईनिंग प्रकियाधीन है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण के तथ्य पूर्व में बीपीसी (एल.पी) की बैठक दिनांक 20.07. 2016 एवं 01.10.2015 में रखे गये अनुसार ही है, जिसमे कोई भिन्नता नही है। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**
38.		राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 216/1, 216/5 व 216/6 रकबा 02.18.18 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले–आउट प्लान बाबत्। आवेदक :– प्रवीण परिहार पुत्र श्री नेमाराम। (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भू–उपयोग मे औद्योगिक गतिविधिया अनुज्ञेय है। 2. जोन की चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मार्गाधिकार हेतु निजी खातेदार द्वारा सहमती दी गयी है, खसरा संख्या–216/9, 216/12 व 216/8 खातेदारी मे से मार्ग हेतु समर्पित। योजना मे पहुँच मार्ग पूर्व दिशा मे स्थित खसरा संख्या–612 की निजी खातेदारी मे से उपलब्ध हो रहा है, परन्तु कटाण उपलब्ध नही है। निजी खातेदार हेतु सहमति पेश की गयी है, परन्तु समर्पण नही हुआ है। 3. आवेदित भूमि तक औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु नियमानुसार 80 फीट पहुँच मार्ग आवश्यक है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या–2 के कम मे उपायुक्त द्वारा समर्पण नामा स्वीकार किया गया तथा आवेदित भूमि तक नियमानुसार 80 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावें। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित ले–आउट प्लान को जोन पटवारी द्वारा सुपरईपोज करवाया जावें। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के

			परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
39.		राजस्व ग्राम इन्द्रोका के खसरा संख्या 47 रकबा 83.17.00 बीघा भूमि का फार्म हाऊस(योजना) बाबत्। आवेदक :– श्री गोबरराम पुत्र श्री सूखराम व श्री खीयाराम पुत्र श्री रणजीताराम। (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षैत्र हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) की डी0सी0आर अनुसार ग्रामीण क्षैत्र मे 40 फीट व उससे अधिक मार्गाधिकार पर फॉर्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या–01 ग्राम इन्द्रोका मे से राजस्व रास्ता आवेदित भूमि को मिल रहा है, जिसके राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी की छायाप्रति आवेदक द्वारा दिनांक 25.07.2018 को प्रस्तुत किया गया। 3. आवेदित भूमि का कुल क्षैत्रफल–13.57 है0 होने से नियमानुसार 80 फीट पहुँच मार्ग आवश्यक है। पत्रावली के पृष्ठ संख्या–15 पर संलग्न सर्वे प्लान अनुसार आवेदित भूमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसकी स्थिती का अंकन मय क्षमता के करवाया जाना अपेक्षित है। 4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या–31 पर संलग्न प्रार्थना–पत्र अनुसार खसरा संख्या–42 (गोचर) भूमि जो0वि0प्रा की सम्पति है, जिसमे मुझ प्रार्थी को नियमानुसार राशी जमा करवा कर 70 फीट रास्ता आवंटित किया जाता है तो प्रार्थी नियमानुसार राशी जमा करवाने के लिये तैयार है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तो के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या–2 के क्रम मे राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे तथा नियामानुसार रास्ते हेतु राशि ली जावें। 2. उपरोक्त सडको की सुनिश्चितता करते हुये टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार प्रावधान करते हुए ले–आउट अनुमोदन किया जावें। 3. सर्वे प्लान अनुसार आवेदित भूमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन मय क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जावें व सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्डों का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
40.		राजस्व ग्राम बड़ा कोटेचा के खसरा संख्या 1/4 रकबा 15.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाऊस(एकल भूखण्ड) बाबत्।	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षैत्र हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) की डी0सी0आर

		आवेदक :– जयरामाराम पुत्र श्री भोमाराम (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	अनुसार ग्रामीण क्षैत्र मे 40 फीट व उससे अधिक मार्गाधिकार पर फॉर्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच मार्ग सडक का मार्गाधिकार 30 फीट है। उक्त कटान रास्ते की चौडाई के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या–01 का वक्त भू–प्रबन्ध कुल रकबा 318.14 बीघा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था। तत्पश्चात समय–समय पर विभिन्न व्यक्तियो को भूमि आवंटन होते हुये वर्तमान मे उक्त खसरे मे से 136.03 बीघा भूमि राजकीय शेष रही, जो वर्तमान मे प्राधिकरण के नाम दर्ज है। खसरा संख्या–1/3, 1/4, 1/5, 1/7 व 1/8 के उत्तर दिशा मे ग्राम बिजारीया बावडी (जेलू गंगाडी) की सरहद के पास खसरा संख्या–1 की भूमि जिसकी चौडाई 30 फीट है। रास्ते के रूप मे मौके पर काम मे ली जा रही है। 4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या–13 पर संलग्न सर्वे प्लान अनुसार आवेदित भूमि मे इलेक्ट्रीक लाईन गजर रही है, अतः ले–आउट प्लान पर एल0टी लाईन का अंकन मय क्षमता के करवाया जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटान रास्ते की चौडाई 60 फीट रखी जावे तथा नियामानुसार रास्ते हेतु राशि ली जावें। 2. सर्वे प्लान अनुसार आवेदित भूमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन मय क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जावें व सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
41.		राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 546 व 546/1 रकबा 10.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट बाबत्। आवेदक :– श्री हरिराम पुत्र श्री रावतराम जी	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार यू–2 व आंशिक भाग मिश्रित उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार यू–2 क्षैत्र मे 100 फीट व उससे अधिक मार्गाधिकार पर आवासीय अनुज्ञेय किये जा सकते है। मास्टर प्लान

	वगैरह। (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	डवलपमेट प्लान–2031 (प्रारूप) मे मिश्रित उपयोग की डी.सी. आर बनी हुयी नही है। 2. पत्रावली के पैरा–03 पर मास्टर प्लान की रिपोर्ट अनुसार उक्त ग्राम पर आपत्ति संख्या–215, दिनांक 25.10.2013 को प्राप्त है। उक्त के कम मे निर्णय अपेक्षित है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के पटवारी/निरीक्षक(भू. अ) की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग 30 फीट कटाणी रास्ता है। प्रस्तावित भूमि पर सडको का निर्माण हो रखा है। उक्त कटाणी रास्ते के मार्गाधिकार का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग 30 फीट कटाणी रास्ता है। उक्त कटाण रास्ते का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। 2. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.07.2018 मे मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर अनुमोदित की गयी है। प्रस्तावित ले–आउट प्लान में मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्र में उक्त डी.सी. आर. अनुसार प्रावधान किये जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या–02 पर प्राप्त आपत्ति को समिति द्वारा सामान्य आपत्ति माना गया। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की रागरत जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
42.	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 563/1 रकबा 04.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती रूकमादेवी पत्नि श्री खीयांराम। (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) के अर्तगत यू–2 क्षैत्र हेतु आरक्षित है, मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार 60 फीट व उससे अधिक मार्गाधिकार पर फॉर्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक का मार्गाधिकार 38 फीट है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे उक्त सडक का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार हेतु निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी/तहसीलदार जोविप्रा, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार एच0टी/एल0टी लाईन आवेदित भूमि के आगे की ओर से गुजर रही है, जिसकी क्षमता व स्थिती का अंकन करवाया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –**

			1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन मय क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जावें व सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
43.		राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 247 रकबा 22.08.00 बीघा भूमि में से 05.00.00 बीघा भूमि का मोटल (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– मंगलाराम पुत्र श्री तेजाराम जरिये आममुख्तयार श्री भरताराम पुत्र श्री मंगलाराम। (जोन पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियत्रण क्षैत्र हेतु आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधानों अनुसार परिधि नियत्रण क्षैत्र में मोटल गतिविधियां अनुज्ञेय है तथा मुख्य बाडमेर सडक का मार्गाधिकार 200 फीट व मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी हेतु आरक्षित है। 2. जोन की चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के मध्य एल.टी लाईन स्थित है जिससे नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी छोडी जानी प्रस्तावित है।
		भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। जोविप्रा द्वारा अनुमोदित मिश्रित भू–उपयोग की डी0सी0आर अनुसार मिश्रित भू–उपयोग मे 80 फीट एवम् अधिक मार्गाधिकार पर मोटल गतिविधियाँ अनुज्ञेय है। 2. आवेदित भूमि मुख्य बाडमेर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जावें। 3. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एच.टी व एल0टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन मय क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जावें व सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी।

			7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
44.		राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 533, 533/13, 33/12, 533/6, 533/8 रकबा 11.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश, श्री नथाराम पुत्र श्री गिरधारीराम व श्री मदाराम पुत्र श्री लूणाराम। (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 अनुसार यू–2 व आंशिक भाग आंशिक भाग मिश्रित भू–उपयोग में हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार यू–2 क्षैत्र में 100 फीट व उससे अधिक की चौडाई की सडकों पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जा सकती है तथा मिश्रित उपयोग मे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डी.सी.आर अनुसार 100 फीट व उससे अधिक पहुँच मार्ग पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जा सकती है। 2. आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार मास्टर डवलपमेंन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) पर उक्त गांव पर आपत्ति सं. 215/10/13 दर्ज हैं, उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं। उक्त आपत्ति/सुझाव के सन्दर्भ मे समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे खसरा संख्या–523 व 524 स्थित है जो कि राजस्व रिकोर्ड मे नाडी व गै.मु. ओरण दर्ज है। उक्त खसरा संख्या– 524 मे से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 4. जोन चैकलिस्ट अनुसार पटवारी रिपोर्ट मे सम्पर्क मार्ग राजस्व नक्शे मे मार्ग है, जिसकी चौडाई 40 फीट है। अतः उक्त राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में खसरा संख्या–524 के स्वामित्व की जॉच तथा आवेदित भूमि तक उपलब्ध पहुँच मार्ग की राजस्व रिकोर्ड अनुसार जॉच हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। अतः प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
45.		राजस्व ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 215/1 व 215/2 रकबा 23.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– बलदेवराम पुत्र श्री रेवतराम जी। (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं, मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में फार्म हाऊस को 12 मीटर(40फीट) व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया हैं। फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन पेश किया गया हैं। आवेदित भूमि को एप्रोच हेतु मौके पर 45–60 फीट कटाणी रास्ता उपलब्ध हो रहा हैं। उक्त कटाणी रास्ते के मार्गाधिकार बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा मे पहाडी स्थित है, डवलपमेंन्ट प्लान 2031(प्रारूप) के पृष्ठ संख्या–135 अनुसार " जोधपुर मे स्थित पहाडियो के संरक्षण हेतु पहाडियो के चारो तरफ 50 मीटर पहाडी संरक्षण क्षैत्र एवं इसके पश्चात पहाडो के चारो ओर वृक्षारोपण पटटी के रूप मे भूमि आरक्षित रखी गयी है वहा पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।" अतः उक्त हेतु जोन पटवारी से राजस्व/मौका अनुसार आवेदित भूमि की पहाडी से दुरी लिया जाना व ले–आउट पर अंकन करवाया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित**

			शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि को एप्रोच हेतु मौके पर 45–60 फीट कटाणी रास्ता उपलब्ध हो रहा हैं। उक्त कटाणी रास्ते के मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। 2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या–3 के कम मे जोन पटवारी से राजस्व/मौका अनुसार आवेदित भूमि की पहाडी से दुरी ली जावे व मास्टर प्लान अनुसार पहाडी से 50 मीटर वृक्षारोपण पटटी रखी जावे साथ ही आवेदक से इस संबंध मे शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
46.		राजस्व ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 215/5 रकबा 06.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती जिमनाई पत्नि श्री बलदेवराम जी। (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं, मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में फार्म हाउस को 12 मीटर(40फीट) व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया हैं। फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन पेश किया गया हैं। आवेदित भूमि को एप्रोच हेतु मौके पर 45–60 फीट कटाणी रास्ता उपलब्ध हो रहा हैं। उक्त कटाणी रास्ते के मार्गाधिकार बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा मे पहाडी स्थित है, डवलपमेंन्ट प्लान 2031(प्रारूप) के पृष्ठ संख्या–135 अनुसार " जोधपुर मे स्थित पहाडियो के संरक्षण हेतु पहाडियो के चारो तरफ 50 मीटर पहाडी संरक्षण क्षेत्र एवं इसके पश्चात पहाडो के चारो ओर वृक्षारोपण पटटी के रूप मे भूमि आरक्षित रखी गयी है वहा पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।" अतः उक्त हेतु जोन पटवारी से राजस्व/मौका अनुसार आवेदित भूमि की पहाडी से दुरी लिया जाना व ले–आउट पर अंकन करवाया जाना अपेक्षित है। 4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से एल.टी लाईन गुजर रही है, जिसका अंकन मय क्षमता के ले–आउट प्लान पर करवाया जाना अपेक्षित है।

			समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि को एप्रोच हेतु मौके पर 45–60 फीट कटाणी रास्ता उपलब्ध हो रहा हैं। उक्त कटाणी रास्ते के मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। 2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या–3 के कम मे जोन पटवारी से राजस्व/मौका अनुसार आवेदित भूमि की पहाडी से दुरी ली जावे व मास्टर प्लान अनुसार पहाडी से 50 मीटर वृक्षारोपण पटटी रखी जावे साथ ही आवेदक से इस संबंध मे शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारुप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
47.		राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 746/2 रकबा 01.00.00 बीघा भूमि का हाऊस होल्ड इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री करनाराम मेघवाल पुत्र श्री देवाराम। (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. प्रकरण को पूर्व मे ले–आउट प्लान अनुमोदन समिती की बैठक दिनांक 20.07.2016 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था, तत्समय आवेदित भूमि मास्टर प्लान–2023 से बाहर होने से राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण मे तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। 2. प्रकरण को पुनः ले–आउट प्लान अनुमोदन समिती की बैठक दिनांक 23.08.2018 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार 100 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग कटान रास्ते से प्राप्त हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार जोन की चैक लिस्ट अनुसार 40 फीट है। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त कटाण रास्ते की चौडाई 100 फीट करने की सहमती जाहिर की गयी है। 4. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेट प्लान–2031(ड्राफ्ट) अनुसार हाइवे कॉरिडोर जोन(यू–3) हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज हाइवे कॉरिडोर जोन(यू–3) मे 100 फीट व उससे अधिक की चौडाई पर अनुज्ञेय है। 5. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जोन की चैक लिस्ट अनुसार 40

			फीट है एवं डी0सी0आर अनुसार 100 फीट व उससे अधिक की चौडाई पर अनुज्ञेय किये जा सकते है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग कटान रास्ते से प्राप्त हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार जोन की चैक लिस्ट अनुसार 40 फीट है। उक्त कटान रास्ते का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी स्वंय की होगी। 5. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
48.		राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 रकबा 310 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान बाबत्। आवेदकः– पाक विस्थापित परिवारों की आवासीय योजना (जोन पश्चिम) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. प्रकरण मे नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग के पत्र दिनांक 10.05.2018 के कम मे जोन उपायुक्त द्वारा कन्सलटेन्ट के माध्यम स ले–आउट प्लान तैयार करवाया गया है। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 14.10.2013 पाक विस्थापितो को पुर्नवास हेतु प्राधिकरण की योजना के सुविधा क्षैत्र के लिये 40 से 50 प्रतिशत भूमि आरक्षित करने हेतु जोविप्रा को अधिकृत किया गया है। 2. प्रकरण में जोन से प्राप्त पाक विस्तावित परिवारों की आवासीय योजना का ले–आउट व प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 3. उक्त ले–आउट प्लान क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार प्राप्त होता है।

AREA ANALYSIS

S.NO	LANDUSE	AREA (SQ. FT)	PERCENTAGE
1	RESIDENTIAL	2077578.95	38.46
2	FACILITY	547027.76	10.12
3	PARK	547208.96	10.13
4	COMMERCIAL/ INFORMAL	157712.09	2.91
5	ROAD	1968284.74	36.44
6	NALA	103709.00	1.94
	TOTAL	5401440.00	100

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –

1. प्रकरण मे समिति को अवगत करवाया गया कि जोविप्रा की रागरत योजनाओ मे मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानोनुसार विकय योग्य भूमि के 25 प्रतिशत भूमि के भूखण्ड ई0डब्लु0एस/एल0आई0जी हेतु आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जिनका प्रावधान योजना मे नही किया गया है। जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त योजना विशिष्ट योजना की श्रेणी के अन्तर्गत आती है, जिस पर उक्त प्रावधान लागु नही होते है।
2. योजना मे प्रस्तावित भूखण्डो का आवंटन/निष्पादन नगरीय

			विकास विभाग एवं आवासन विभाग के पत्र दिनांक 10.05. 2018 अनुसार किया जावे, जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावेगी। 3. योजना मे प्रस्तावित व्यवसायिक व सुविधा क्षेत्रो हेतु प्रस्तावित भूमियो का निष्पादन नियमानुसार किया जावे, जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावेगी। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्डो के पट्टे जारी किये जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावेगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 3.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः प्रकरण का उक्त के परिपेक्ष्य मे परिक्षण किया जावे तथा सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप) के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
49.		राजस्व ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 रकबा बीघा भूमि का आवासीय ग्रुप हाउसिग प्रयोजनार्थ (मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत) संशोधन बाबत्। भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** अभियांत्रिकी शाखा से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अर्न्तगत ले–आउट प्लान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत ग्राम बडली खसरा सख्या 88 में प्रस्तावित 3152 आवासों के निर्माण हेतु ले–आउट प्लान PAC की बैठक दिनांक 23.03. 2017 को स्वीकृत किया गया था। 3152 आवासों के विरूद्व अपर्याप्त 1066 आवेदन प्राप्त होने की दशा में मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा कुल 1216 आवास निर्मित करने की सहमति प्रस्तुत की गयी है। जिसके तदनुरूप प्रकरण निम्न बिन्दुओं के विवेचन उपरांत स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को प्रस्तुत किया गया है। 1. पूर्व निर्धारित ले–आउट अनुरूप 3152 आवासों के विरूद्व प्राप्त आवेदनों 1216 के लिए आवास निर्माण योजना की संशोधित स्वीकृति हेतु। 2. संशोधित योजना अनुरूप 1216 आवासों के ले–आउट प्लान के संशोधित स्वीकृति के संबंध में। 3. संशोधित योजना अनुरूप 1216 आवासों के ले–आउट प्लान के अनुसार संशोधित पूरक अनुबंध संपादन हेतु। 4. संशोधित योजना अनुरूप 1216 आवासों के ले–आउट प्लान के अनुसार संशोधित डी.पी.आर तैयार किये जाने के संबंध में। अतः मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा 1216 आवासों के निर्माण के लिए प्रस्तुत संशोधित ले–आउट प्लान, भवन प्लान, नवीन सीएमजेएवाई गाइडलाइन के अनुरूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तो के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** प्रकरण मे मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे सुविधा क्षैत्र, हरियाली क्षैत्र व सडक क्षैत्र को पृथक–पृथक नंही दर्शाया गया है। अतः भवन विनियम के प्रावधानोनुसार 15 प्रतिशत हरियाली क्षैत्र, नियमानुसार सुविधा क्षैत्र आदि का प्रावधान करवाते हुये एवं सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)

			के प्रस्तावो का समायोजन करते हुये संशोधित ले–आउट प्लान लिया जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।
50.		राजस्व ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा के खसरा संख्या 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 278/75, 76, 101 कुल रकबा 75.04.00 बीघा भूमि का प्रदूषण रहित औद्योगिक प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्री जयप्रकाश मुथा पुत्र श्री पुष्पराज व अन्य (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ (योजना) हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है जो 25 फीट है। खसरा संख्या 63 गै.मु. नदी है जो आवेदित भूमि के कुल खसरों में से खसरा संख्या 76, 278/75, 75 के चिपती हुई पश्चिम दिशा में स्थित है। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–2 व आंशिक भाग वॉटर बाडी के सहारे स्थित 100 फीट वृक्षारोपण पट्‌टी में स्थित है। डी.सी.आर अनुसार यू–2 में non polluting eco-friendly industries (area not less than 1 Hact) may be considered by statutory committee. Any other category of industry with the permission of Raj. state pollution Control Board with EIA. अनुज्ञेय है। अतः सम्बिधित विभाग से non polluting certificate प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। 4. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के क्रम में एच.एफ.एल. से प्रभावित क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई विभाग से अनापति प्रमाण पत्र लिया जाना अपेक्षित है तद्नुसार आवश्यक संशोधन करते हुये नियमानुसार वृक्षारोपण पट्‌टी छोडी जाना प्रस्तावित है। 5. प्रस्तुत मानचित्र में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी यूनिट अलग–अलग जगह प्रस्तावित की गई है, उक्त के क्रम में नियमानुसार संशोधन करते हुये 1 स्थान पर किया जाना अपेक्षित है। 6. मानचित्र में दर्शित 60 फीट सडकों को नियोजन की दृष्टी से नियमित रखा जाना प्रस्तावित है। 7. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार आवश्यक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुये ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1, 3 व 4 के क्रम में कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे तथा सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाकर प्रभावी क्षेत्र उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्‌टी छोडी जावे। इस हेतु मानचित्र में आवश्यक संशोधन किया जावे। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण कन्ट्रोल बोर्ड से non polluting certificate प्राप्त किया जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5, 6 व 7 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक संशोधन किया जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्‌टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्‌टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रीको भवन विनियम द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक,

			वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारुप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारुप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
51.		राजस्व ग्राम भैसेर कुतड़ी के खसरा संख्या 90, 90/1 रकबा 33.13.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री लिछुराम पुत्र श्री पुनाराम (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 41'X45' का आवासीय पक्का मकान, 20'X15' का मन्दिर पूजा स्थल बना है तथा 10'X10' का पक्का कमरा व 10'X20' को शेड बना हुआ है। आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है जिसे मौके पर प्रार्थी द्वारा अवरूद्ध किया हुआ है। 2. आवेदित भूमि का पत्रावली के पैरा संख्या 03 व पैरा संख्या 13 अनुसार भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के दक्षिण भाग मे रेल्वे लाईन तिवरी–मथानिया रोड व उत्तर भाग में कटाण रास्ता स्थित है। उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। आवेदित भूमि गुगल प्लान अनुसार रेलवे सीमा से लगभग 478 फीट की दूरी पर स्थित है व रेलवे सीमा से प्रभावित नही है। 3. आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित तिवरी–मथानिया रोड मास्टर प्लान में नही दर्शायी गयी है उक्त रोड एम.डी.आर (मेजर डीस्ट्रिक रोड) श्रेणी की रोड है। तथा आवेदित भूमि के उत्तर में स्थित कटाण मार्ग है। उक्त दोनों मार्गो का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया प्रस्तावित है। 4. प्रारूप–7 अनुसार आवेदित भूमि से एक एच.टी लाईन व एक एल.टी लाईन से प्रभावित हो रही है। उक्त के संबध में एच. टी लाईन व एक एल.टी लाईन की क्षमता बाबत् मौका रिर्पोर्ट लिया जाकर तदनुसार मानचित्र पर सेफटी कोरिडोर/आर.ओ. डब्ल्यू का अंकन किया जाना प्रस्तावित है। 5. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि कटाण मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया जाकर रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में कटाण मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। तथा भविष्य में मार्ग को अवरूद्ध नहीं किया जावे इस हेतु जोन स्तर पर प्रार्थी से शपथ–पत्र लिया जावे। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 व 3 के क्रम में आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। व आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित तिवरी–मथानिया रोड (एम.डी.आर) का मार्गाधिकार 160 फीट रखा जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में एच.टी लाईन व एक एल. टी लाईन की क्षमता एवं स्थिति बाबत् मौका रिर्पोर्ट लिया जाकर तदनुसार मानचित्र पर सेफटी कोरिडोर/आर.ओ.डब्ल्यू का अंकन किया जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद

			लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
52.		राजस्व ग्राम मणाई के खसरा संख्या 223/4 रकबा 08.05.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री हेमाराम पुत्र श्री कानाराम (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि मास्टर प्लान –2031(प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तथा मणाई से माणकलाव जाने वाले कटाण मार्ग पर स्थित हैं। जिसको प्राप्त रिपोर्ट पैरा संख्या 11 अनुसार 100 फीट प्रस्तावित किया गया हैं। 2. आवेदक द्वारा पूर्व में फार्म हाउस योजना प्रस्तावित की गयी थी परन्तु वर्तमान में फार्म हाउस (एकल पट्टा) चाहा गया हैं। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम में दर्शित 10 फीट कच्चे रास्ते के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित हैं। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 व 3 के क्रम में आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे व आवेदित भूमि के पश्चिम में रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 5. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
53.		राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 46/6 रकबा 01.10.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री रमेश कुमार पंवार पुत्र श्री मदनलाल पंवार	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। जोन तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि पर 80'X80' फीट का पक्का हॉल, डबल मंजिल भवन निर्मित है तथा 10'X10' फीट का ऑफिस व 20'X30' फीट का गायों का सेड बना हुआ है। उक्त आवेदित भूमि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड जोधपुर के पक्ष में रहन दर्ज

		(जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	है जिस बाबत कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा नियमन हेतु सशर्त एन.ओ.सी. की प्रतिलिपी प्रेषित की है। 2. आवेदित भूमि के पत्रावली के बिन्दु संख्या 03 अनुसार मास्टर प्लान 2023 अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। तथा प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया है। 3. आवेदित भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। जिस पर पूर्व में जो.वि.प्रा. द्वारा खसरा संख्या 11/3, 11/8, 44/2, 44/7 राजस्व ग्राम खोखरिया का अनुमोदन मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखते हुये किया गया है। 4. प्रकरण पूर्व में बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 23.08.2018 में रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–''समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में आवेदित भूमि को रहन मुक्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे। तथा उक्त की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावें। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 व 4 के क्रम में आवेदित भूमि को रहन मुक्त किये जाने के उपरान्त ही पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिगारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
54.		राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 03 रकबा 11.11.00 बीघा, खसरा संख्या 04 रकबा 16.05.00 बीघा खसरा संख्या 26 रकबा 02.10.00 बीघा खसरा संख्या 27 रकबा 04.19.00 बीघा खसरा संख्या 29 रकबा 20.10.00 बीघा कुल रकबा 55.15.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती आनन्द पत्नि श्री नन्दकिशोर श्री जयकिशन पुत्र श्री बिरदीचन्द श्री सुरेन्द्र कुमार पत्र श्री मोहनलाल श्री पन्नालाल पुत्र श्री गुलराज श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री बिरदीचन्द	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस हेतु आवेदन किया गया हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान को दिनांक 30.10.2013 को उप नगर नियोजक द्वारा तकनिकी रूप से परीक्षण किया जा चुका है। भू.अ. निरीक्षक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में खसरा नं. 25 व 28 ग्राम दईजर गै.मु. रास्ता पहुंच मार्ग है जो प्रस्तुत ले–आउट प्लान में बताया हुआ है। आवेदित भूमि के चिपते हुये उतर दिशा में खसरा नं. 35 किस्म गै.मु. नहर स्थित है। प्रकरण को ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 01.10.2015 में निरस्त किया जा चुका है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय व आंशिक वॉटर बॉडी के सहारे प्लान्टेशन में स्थित है। डी.सी.आर. अनुसार आवासीय उपयोग में 40 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर फार्म हाउस अनुज्ञेय है। परन्तु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार 4

		श्री मोहनलाल पुत्र श्री बिरदीचन्द (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा व दक्षिण दिशा में स्थित 200 फीट सडक के मार्गाधिकार उपरान्त वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी प्रस्तावित है। साथ ही आवेदित भूमि के मध्य में स्थित दो राजस्व रास्तों का मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 7 पर उपलब्ध खसरा मानचित्र तथा प्रस्तावित ले–आउट प्लान के दक्षिण–पूर्व दिशा में सीमाओं में भिन्नता है। उक्त के संबंध में जोन से रिपोर्ट अपेक्षित है। 5. आवेदित भूमि के चिपते हुये उतर दिशा में खसरा नं. 35 किस्म गै.मु. नहर स्थित है। अतः वॉटर बॉडी के सहारे–सहारे नियमानुसार वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी प्रस्तावित है। साथ ही योजना में फार्म हाउस के दोनों ओर सडके प्रस्तावित की गई है, जो नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः नियमानुसार संशोधन आवश्यक है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 व 2 के क्रम में आवेदित भूमि में स्थित कटाण मार्गो का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। तथा उत्तर दिशा में स्थित नहर/वॉटर बॉडी के सहारे 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 2. आवेदित भूमि के पश्चिम व दक्षिण दिशा में स्थित 200 फीट मार्गाधिकार के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक संशोधन किया जावे। साथ ही बिन्दु संख्या 5 अनुसार मानचित्र में आवश्यक संशोधन किया जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
55.		राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 186 रकबा 20.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री ओमाराम पुत्र श्री गोकलराम (जोन उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 30 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है, जो खसरा संख्या 153 गै. मु. रास्ता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार आवेदित भूमि आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा मण्डोर जोधपुर में रहन दर्ज है। प्रार्थी द्वारा रहन के संबंध में certificate of discharge प्रस्तुत किया गया है। 2. मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में दर्शाया गया है। डी.सी.आर. अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में फार्म हाउस को 40 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया

		भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	गया है। 3. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग पर पूर्व में अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट अपेक्षित है। तद्उपरान्त उक्त मार्ग का मार्गाधिकार का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में आवेदित भूमि के सामने में स्थित मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में जोन अपने स्तर पर आवेदित भूमि रहन मुक्त किये जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
56.		राजस्व ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 22/2 रकबा 13.04.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कोजाराम (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि पर पहुंच का मार्गाधिकार 23 फीट है रिकॉर्डेड कटाणी रास्ता नहीं है एवं आवेदित भूमि के पश्चिम में लगभग 3500 वर्गफीट क्षेत्र में आवासीय मकान व जानवरो का टीनशेड निर्मित है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) के अर्न्तगत ग्रामीण एरिया में दर्शाया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव/विश्लेषण मास्टर प्लान 2031(ड्राफ्ट) अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं है। डी.सी.आर. अनुसार ग्रामीण एरिया उपयोग में फार्म हाउस को 40 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। 3. आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त कटाणी मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण कटाण रास्ता दर्ज कराने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
57.		राजस्व ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 112 रकबा 13.04.00 बीघा में से 05.18.07 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्।	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट का मार्गाधिकार प्राप्त होता है जो आवेदक की निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 112/8 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से उपलब्ध है। जिस हेतु आवेदक द्वारा श्रीमान सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के पक्ष मे

		आवेदक :— श्री मांगीलाल गुलेच्छा पुत्र श्री चन्दनमल गुलेच्छा (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	अंपजीकृत समर्पणनामा भी प्रस्तुत किया है। आवेदित भूमि के खसरा नं. के पश्चित दिशा मे चिपते हुए रेल्वे लाईन स्थित है जो प्रस्तुत ले—आउट प्लान अनुसार आवेदित भूमि से लगभग 43 से 58 फीट की दूरी पर स्थित होना दर्शाया गया है। आवेदित भूमि में मौके पर वेयर हाउस पूर्णतया निर्मित है जो पूर्व से संचालित है एवं उपयोग में लिया जा रहा है। 2. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान—2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डी.सी.आर अनुसार 40 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर कृषि आधारित उद्योग अनुज्ञेय है परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि आधारित उद्योग हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर तथा न्यूनतम पहुच मार्ग 24 मीटर आवश्यक है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को खसरा सख्या 112/8 आवेदक की निजी खातेदारी भूमि से 60 फीट मार्गाधिकार प्राप्त होता है। 3. उक्त भूमि जोधपुर से मथानिया जाने वाली रेल्वे लाईन के समीप स्थित है। तथा रेल्वे भूमि से 100 फीट दूरी में स्थित है। अतः रेल्वे विभाग से अनाप्ति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। 4. जोन रिपोर्ट अनुसार मौके पर वेयर हाउस पूर्णतया निर्मित है जो पूर्व से संचालित है एवं उपयोग में लिया जा रहा है उक्त के कम में वेयर हाउस वाणिज्यिक गतिविधि होने तथा आवेदक द्वारा कृषि आधारित उद्योग आवेदन करने के परिपेक्ष में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले—आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया —** 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 व 2 के क्रम में आवेदित भूमि के उतर दिशा में स्थित मार्ग का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व रेलवे विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आवेदक द्वारा कृषि आधारित उद्योग हेतु आवेदन किया है। अतः नियमानुसार कृषि आधारित उद्योग हेतु राशि वसूल कर जोन स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले—आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले—आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कृषि आधारित उद्योग विनियम के मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)—जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले—आउट प्लान जारी किया जावे।

58.		राजस्व ग्राम मण्डोर–द्वितीय के खसरा संख्या 660 रकबा 02.17.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री वासुदेव पुत्र श्री लेखुमल सिंधी (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 80 फीट सडक पर स्थित है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय आरक्षित है, तथा पत्रावली में संलग्न ले–आउट प्लान की समिति बैठक दिनांक 23.08.2018 को एजेण्डा संख्या 33 अनुसार न्यू नागौर रोड का मार्गाधिकार 120 फीट रखा जाकर अनुमोदित किया गया। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर प्लान अनुसार 120 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 60 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 5. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
59.		राजस्व ग्राम मण्डोर–प्रथम के खसरा संख्या 974, 983 रकबा कुल रकबा 05.00.00 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री रमेशचन्द्र, माधोप्रसाद, सन्तोक कुमार, हरिप्रसाद पि. मदनलाल, मनमोहन व्यास पुत्र जगदीशचन्द्र, सुशीला व्यास पत्नी जगदीशचन्द (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु आवेदन किया गया है। तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि को खसरा संख्या 977 रकबा 00.11.00 बीघा किस्म गै.मु सडक में से 30 फीट रास्ता उपलब्ध है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2023 अनुसार कालेज (महाविद्यालय) आरक्षित है। ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 974 में कुछ भाग जोधपुर नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज है अर्थात इस खसरे के अन्दर पूर्व में पटटे उठ चुके है। अतः उक्त के सम्बध में जोन द्वारा जॉच/टिप्पणी अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2023 अनुसार कालेज (महाविद्यालय) आरक्षित है। उक्त उपयोग में मुख्यमंत्री जन आवास योजना अनुज्ञेय किये जाने हेतु समान प्रकृति के प्रकरण में वरिष्ठ स्तर पर स्पष्ट अभिमत नही होने के कारण उच्चस्तर पर विचाराधीन है। अतः उक्त के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. आवेदित भूमि तक आवश्यक न्यूनतम 30 फीट पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है। **समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में**

			पारित निर्णय 12.01.2017 में निम्नानुसार वर्णित है:– **"The open spaces, green spaces, common facilities, playgrounds, gardens, parks, recreational areas specified in the Master Devlopment Plan or Zonal Devlopment Plan shall be protected during the oprative period of the plans and even thereafter, while undertaking revision thereof or preparing a new plan and the same shall not be diverted to the use other than those specified."** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में सुविधा क्षेत्र उपयोग में मुख्यमंत्री जन आवास योजना अनुज्ञेयता के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिया जावे, तत्पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावें।
60.		राजस्व ग्राम बावडी–प्रथम के खसरा संख्या 1324/1 रकबा 02.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री बुद्धाराम पुत्र श्री गुणेशाराम (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 30 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है। आयोजना शाखा की पत्रावली के पैरा एन/3 की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि खसरा नं. 1324/1 यू–3 मं स्थित है एवं मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) डीसीआर अनुसार यू–3 मे फार्म हाउस अनुज्ञेय नही दर्शाया गया है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार U-3 (हाईवे कोरिडोर जोन) में स्थित है। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। 3. मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) डीसीआर अनुसार यू–3 मे फार्म हाउस अनुज्ञेय नही दर्शाया गया है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) में यू–3 में आरक्षित होने तथा यू–3 में फार्म हाउस अनुज्ञेय नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किया गया।**
61.		राजस्व ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा के खसरा संख्या 105 रकबा 03.16.00 बीघा भूमि का वेयर हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती अचला मुथा पत्नि श्री जयप्रकाश मुथा (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 25 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है। आवेदक द्वारा अपनी अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 102, 103, 104, 106 ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा का पृथक से वेयर हाउस एकल प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–2 में स्थित है। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट अनुसार यू–2 के डी.सी.आर में व्यवसायिक यूज में वेयरहाउस हेतु 100 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है। 3. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रार्थी के नाम से समीपीय खसरों के अन्य प्रकरण एकल भूखण्ड हेतु प्राधिकरण में विचाराधीन है। अतः टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों के अनुरूप योजना बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रस्तुत गुगल मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में नदी/नाला प्रतीत होता है जिस बाबत् जोन से टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदक से समीप के अन्य प्रकरणों को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदक से समीप के समस्त प्रकरणों (खसरा संख्या 106,

			रकबा 04.02 बीघा, खसरा संख्या 102 व 103, रकबा 03.14 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 03.04 बीघा एवं खसरा संख्या 106 रकबा 04.00 बीघा) को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में पत्र लिखा जावे। तथा प्राप्त प्रत्युत्तर के अनुरूप प्रकरण में मानदण्ड रखते हुये आयोजना स्तर पर अनुमोदन किया जावे। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन से रिपोर्ट ली जावे। तथा नदी/नाला पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुये नियमानुसार वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
62.		राजस्व ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा के खसरा संख्या 106 रकबा 08.02.00 बीघा में से 04.02.00 बीघा भूमि का वेयर हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती अचला मुथा पत्नि श्री जयप्रकाश मुथा (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 25 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है। आवेदक द्वारा अपनी अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 102, 103, 104, 105 ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा एवं आवेदित खसरा नं. 106 का एक अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत आवेदन प्रकरण संख्या 249/18 का पृथक से वेयर हाउस एकल प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–2 में स्थित है। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट अनुसार यू–2 के डी.सी.आर में व्यवसायिक यूज में वेयरहाउस हेतु 100 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है। 3. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रार्थी के नाम से समीपीय खसरों के अन्य प्रकरण एकल भूखण्ड हेतु प्राधिकरण में विचाराधीन है। अतः टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों के अनुरूप योजना बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रस्तुत गुगल मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में नदी/नाला प्रतीत होता है जिस बाबत् जोन से टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेंडा पर बाद विचार विमर्श पश्चात आवेदक से समीप के अन्य प्रकरणों को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान**

			अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदक से समीप के समस्त प्रकरणों (खसरा संख्या 102 व 103, रकबा 03.14 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 03.04 बीघा, खसरा संख्या 106 रकबा 04.00 बीघा, एवं खसरा संख्या 105 रकबा 03.16 बीघा) को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना के परिप्रेक्ष्य में पत्र लिखा जावे। तथा प्राप्त प्रत्युत्तर के अनुरूप प्रकरण में मानदण्ड रखते हुये आयोजना स्तर पर अनुमोदन किया जावे। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन से रिपोर्ट ली जावे। तथा नदी/नाला पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुये नियमानुसार वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान (प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
63.		राजस्व ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा के खसरा संख्या 102, 103 कुल रकबा 03.14.00 बीघा भूमि का वेयर हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती अचला मुथा पत्नि श्री जयप्रकाश मुथा (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 25 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है। आवेदक द्वारा अपनी अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 104, 105, 106 ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा का पृथक से वेयर हाउस एकल प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–2 में स्थित है। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट अनुसार यू–2 के डी.सी.आर में व्यवसायिक यूज में वेयरहाउस हेतु 100 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है। 3. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रार्थी के नाम से समीपीय खसरों के अन्य प्रकरण एकल भूखण्ड हेतु प्राधिकरण में विचाराधीन है। अतः टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों के अनुरूप योजना बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रस्तुत गुगल मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में नदी/नाला प्रतीत होता है जिस बाबत् जोन से टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श पश्चात आवेदक से समीप के अन्य प्रकरणों को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान**

			अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदक से समीप के समस्त प्रकरणों (खसरा संख्या 106, रकबा 04.02 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 03.04 बीघा, खसरा संख्या 106 रकबा 04.00 बीघा, एवं खसरा संख्या 105 रकबा 03.16 बीघा)को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना के परिप्रेक्ष्य में पत्र लिखा जावे। तथा प्राप्त प्रत्युत्तर के अनुरूप प्रकरण में मानदण्ड रखते हुये अनुमोदन किया जावे। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन से रिपोर्ट ली जावे। तथा नदी/नाला पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुये नियमानुसार वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
64.		राजस्व ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा के खसरा संख्या 104 रकबा 03.04.00 बीघा भूमि का वेयर हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती अचला मुथा पत्नि श्री जयप्रकाश मुथा (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 25 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है। आवेदक द्वारा अपनी अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 102, 103, 105, 106 ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा का पृथक से वेयर हाउस एकल प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–2 में स्थित है। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट अनुसार यू–2 के डी.सी.आर में व्यवसायिक यूज में वेयरहाउस हेतु 100 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है। 3. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रार्थी के नाम से समीपीय खसरों के अन्य प्रकरण एकल भूखण्ड हेतु प्राधिकरण में विचाराधीन है। अतः टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों के अनुरूप योजना बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रस्तुत गुगल मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में नदी/नाला प्रतीत होता है जिस बाबत् जोन से टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श पश्चात आवेदक से समीप के अन्य प्रकरणों को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –**

			1. आवेदक से समीप के समस्त प्रकरणों (खसरा संख्या 106, रकबा 04.02 बीघा, खसरा संख्या 102 व 103 रकबा 03.14 बीघा, खसरा संख्या 106 रकबा 04.00 बीघा, एवं खसरा संख्या 105 रकबा 03.16 बीघा)को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना के परिप्रेक्ष्य में पत्र लिखा जावे। तथा प्राप्त प्रत्युत्तर के अनुरूप प्रकरण में मानदण्ड रखते हुये आयोजना स्तर पर अनुमोदन किया जावे। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन से रिपोर्ट ली जावे। तथा नदी/नाला पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुये नियमानुसार वृक्षारोपण पट्‌टी छोडी जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्‌टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्‌टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की रागरत जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)-जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
65.		राजस्व ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा के खसरा संख्या 106 रकबा 08.02.00 बीघा में से 04.00.00 बीघा भूमि का वेयर हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :- श्रीमती अचला मुथा पत्नि श्री जयप्रकाश मुथा (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 25 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है। आवेदक द्वारा अपनी अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 102, 103, 104, 105 ग्राम जाजीवाल ब्राम्हणा एवं आवेदित खसरा नं. 106 का एक अन्य आवेदन प्रकरण संख्या 250/18 का पृथक से वेयर हाउस एकल प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा है। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू-2 में स्थित है। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट अनुसार यू 2 के डी.सी.आर में व्यवसायिक यूज में वेयरहाउस हेतु 100 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है। 3. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रार्थी के नाम से समीपीय खसरों के अन्य प्रकरण एकल भूखण्ड हेतु प्राधिकरण में विचाराधीन है। अतः टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों के अनुरूप योजना बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रस्तुत गुगल मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में नदी/नाला प्रतीत होता है जिस बाबत् जोन से टिप्पणी लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श पश्चात आवेदक से समीप के अन्य प्रकरणों को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान**

			अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदक से समीप के समस्त प्रकरणों (खसरा संख्या 106, रकबा 04.02 बीघा, खसरा संख्या 102 व 103 रकबा 03.14 बीघा , खसरा संख्या 104 रकबा 03.04 बीघा, एवं खसरा संख्या 105 रकबा 03.16 बीघा) को एक्जाई करते हुये एकल भूखण्ड अथवा योजना के परिप्रेक्ष्य में पत्र लिखा जावे। तथा प्राप्त प्रत्युत्तर के अनुरूप प्रकरण में मानदण्ड रखते हुये आयोजना स्तर पर अनुमोदन किया जावे। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन से रिपोर्ट ली जावे। तथा नदी/नाला पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुये नियमानुसार वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
66.		राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 7 व 8 रकबा 03.03.01 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान संख्या 3–बी के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत्। आवेदक :– मैसर्स समन्वय रियल्टी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि भागीदार विरेन्द्रसिंह भाटी (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना हेतु आवेदन किया गया हैं। तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग पास स्थित सुल्तान नगर में से 30 फीट प्राप्त होता हैं। आवेदित भूमि ग्राम डिगाड़ी खसरा नं. 7 रकबा 3 बीघा 1 बीस्वा 10 बिस्वांसी में प्रार्थी स्वंय खातेदार एवं खसरा नं. 8 कुल रकबा 13.19 बीघा में से प्रार्थी 1 बीस्वा 11 बिस्वांसी भूमि का राहखातेदार दर्ज हैं। खसरा नं. 8 रकबा 13.19 बीघा में से प्रार्थी 1 बीस्वा 11 बीस्वांसी भूमि का सहखातेदार दर्ज हैं। खसरा नं. 8 का विधिवत बंटवारा नहीं हैं। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 के अर्न्तगत आवासीय एवं प्रस्तावित सड़क के अर्न्तगत आरक्षित हैं, तथा प्रस्तावित सडक का अंकन प्रारूपकार से करवाया जाना अपेक्षित है। 3. प्रस्तुत ले–आउट प्लान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा तथा 5 प्रतिशत पार्क रखा जाना अपेक्षित है। साथ ही मानचित्र में दर्शित 20 फीट सडक को न्यूनतम 30 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। अतः मानचित्र में नियमानुसार संशोधन अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग अनुमोदित योजना से प्राप्त होता है अथवा अन्य कोई कटाण मार्ग से इस हेतु जोन से रिपोर्ट अपेक्षित है। 5. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में रेल्वे लाईन स्थित है। अतः रेल्वे सीमा से 100 फीट की दूरी मानचित्र पर जोन स्तर से अंकन करवाया जाना अपेक्षित है।

			समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में आवेदित भूमि का निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में जोन तहसीलदार से बंटवाडा/विधिवत् सहमति के संबंध में रिपोर्ट ली जाकर जोन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही करें। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में प्रारूपकार से रिपोर्ट ली जावे। अगर कोई मास्टर प्लान की सडक आती है तो निःशुल्क समर्पित की जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में मानचित्र में दर्शित 40 फीट सडक को नियोजन की दृष्टि से नियमित रखा जावे। शेष सडको को 30 फीट रखा जावे। 4. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावे। 5. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में जोन द्वारा रिपोर्ट ली जाकर अगर आवेदित भूमि रेलवे सीमा की 100 फीट दूरी में आती है तो रेलवे विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने की सुनिश्चितता की जावे। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत ले–आउट अनुमोदित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार बिल्डिंग प्लान एवं प्रोजेक्ट अनुमोदन पृथक से करवाया जाना होगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा डीपीआर जोन/अभियांत्रिकी शाखा में प्रस्तुत की जावे। 8. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 9. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल संख्या 3 बी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः नियमानुसार 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र व 05 प्रतिशत पार्क रखा जावे। साथ ही दो भिन्न उपयोगो के मध्य 10 फीट का पाथ–वे छोडा जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 12. उक्त ले–आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने पर पुन समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा।
67.		राजस्व ग्राम नेतडा के 416/26, 416/48, 416/73, 416/79, 416/79/1, 416/79/2, 416/26, 416/26/1, 416/26/2, 416/39, 416/39/1, 416/39/2 कुल रकबा 86.10.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ(एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री श्रवण गडेला पुत्र श्री भोमाराम गडेला श्रीमती बरजू हटेला पत्नि श्री कैलाश हटेला श्रीमती इमली देवी हटेला पत्नि श्री श्यामलाल हटेला श्री अशोक हटेला पुत्र श्री बंशीलाल हटेला श्रीमती मीमा देवी हटेला पत्नि श्री बंशीलाल	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) के अन्तर्गत ग्रामीण एरिया में स्थित है व आंशिक भाग वॉटर बॉडी के सहारे–सहारे प्लान्टेशन बैल्ट में स्थित है। अतः नियमानुसार प्लान्टेशन बैल्ट का प्रावधान रखा जाना अपेक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर. अनुसार ग्रामीण एरिया उपयोग में फार्म हाउस को 40 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। 2. आवेदित भूमि में से दो 11 के.वी. की एल.टी. लाईन गुजर रही है, जिससे नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी होगी। जिसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं किया जावे। 3. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है। तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित

		हटेला श्रीमती रेखा पंवार पत्नि श्री संजय पंवार श्री लुणाराम पुत्र श्री ढगलाराम, श्री कोजाराम पुत्र श्री लाखाराम फौत विरासत से श्रीमती साऊदेवी पत्नि कोजाराम श्रीमती पानी देवी पत्नि श्री भोमाराम श्री गिरधारी पुत्र श्री पोकरराम श्री भोमराम पुत्र श्री मोडाराम (जोन उत्तर) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	भूमि 30 फीट कटाण मार्ग पर है जो आवेदित भूमि के ख. नं. 416/73 के चिपते हुए है एवं मौके पर एल.टी. लाईन गुजरती है। 4. प्रकरण में आवेदक द्वारा 416/26, 416/48, 416/73, 416/79, 416/79/1, 416/79/2, 416/26, 416/26/1, 416/26/2, 416/39, 416/39/1, 416/39/2, 416/58 कुल रकबा 102.10.00 बीघा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, परन्तु जोन चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 416/58 को छोडते हुये कुल 86.10 बीघा अंकित किया गया है तथा सुपर ईम्पोज ले–आउट प्लान भी 86.10 बीघा का किया हुआ है। **समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में जोन स्तर पर मूल खसरे में वन विभाग की खातेदारी होने के कारण प्रकरण में राजस्व सम्बधित विस्तृत जांच कर एवं पहुँच मार्ग की नियमानुसार सुशिचितता कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
68.		राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 598/69/1 रकबा 01.10.00 बीघा (कुल रकबा 03.00 बीघा में से स्वयं के हिस्से की भूमि) का होटल प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती मोकलीदेवी पत्नि श्री बिरमराम मेघवाल (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य पाल बाईपास सडक 200 फीट पर स्थित है। महादेव मोटर नामक गैरेज निर्मित एवं संचालित है। आवेदित भूमि के अलावा शेष भूमि पूर्व में नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज की जा चुकी है तथा संयुक्त खाते के के नाम दर्ज है। 2. मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवेदित भूमि मुख्य बाईपास पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित है तथा मार्गाधिकार उपरांत 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी है। 3. पार्ट प्लान अनुसार खसरे में से एच.टी. लाईन दर्शायी गयी है उक्त के कम में आवेदित भूमि एच.टी लाईन से प्रभावित होती है अथवा नही के सबंध में जोन से टिप्पणी अपेक्षित है। साथ ही खसरा मानचित्र में आवेदित भूमि के सामने 4 लाईन दर्शायी है, इस सम्बध में जोन से रिपोर्ट लिया जाना प्रस्तावित है। 4. आवेदक द्वारा होटल प्रयोजनार्थ आवेदन किया है परन्तु जोन चैक लिस्ट अनुसार मौके पर गैरेज निर्मित एवं संचालित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडा जावे एव सडक मार्गाधिकार की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जावे इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट प्लान्टेन्शन रखा जावे। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में जोन से रिपोर्ट ली जाकर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी

			की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का रागायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
69.		राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 205 रकबा 00.04.09 बीघा, खसरा संख्या 206/1 रकबा 01.09.00 बीघा, खसरा संख्या 203/1 रकबा 00.07.18 बीघा, खसरा संख्या 206/1 मीन रकबा 01.01.00 बीघा, खसरा संख्या 206/2 मीन रकबा 01.19.00 बीघा, खसरा संख्या 203/2 रकबा 00.02.00 बीघा, कुल रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा 07 बिस्वांसी का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री भगवानदास कलवानी, श्रीमती राधा पत्नी श्री भगवानदास कलवानी (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. प्रकरण पूर्व में बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 22.01.2016 के प्रस्ताव संख्या 21 पर रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः– ''समिति द्वारा संशोधित ले–आउट प्लान का अवलोकन कर निदेशक(आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार मुख्य पाली सडक का मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य 100 फीट भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सडक के दोनों तरफ 100–100 फीट भूमि व ृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले–आउट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.03. 2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 18(6)नविवि/Review/2014 जयपुर, दिनांक 26.08. 2015 द्वारा प्रदत स्पष्टीकरण व राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं में एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाना है। उक्त योजना में सुविधा क्षेत्र मुख्य पाली सडक पर आरक्षित किये जाने हेतु योजना मानचित्र में संशोधन किया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। तरमीमसुदा स्पष्ट खसरा मानचित्र, जिस पर समस्त आवेदित व समपीय खसरों का अंकन हो, प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावें। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएएएचपी/2014 जयपुर , दिनांक 26.10. 2015 के प्रावधानानुसार उक्त भूखण्ड में 7.5 प्रतिशत एफ.ए. आर. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. आवासों हेतु आरक्षित किया जाना होगा।'' 2. आवेदक द्वारा उक्त के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्लान्टेन्शन बेल्ट हटाने हेतु निवेदन किया है। 3. मास्टर प्लान 2023 के बिन्दु संख्या 4.12 परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में राजमार्गो एवं बाईपास के सहारे, अनुज्ञेय विकास करते समय इन मार्गो के मार्गाधिकार के पश्चात 100 फीट चौडी पट्टी गहन वृक्षारोपण पट्टी हेतु छोडी जाने का उल्लेख है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान अनुसार नगरीकरण क्षेत्र (urbanisable area) में आवासीय श्रेणी में आरक्षित है। अतः आवेदक के प्रार्थना–पत्र के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. समिति द्वारा राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं में एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाने का निर्णय लिया गया परन्तु वर्तमान मे नवीन आदेश के अनुसार 2 है0 से कम क्षैत्रफल हेतु 5 प्रतिशत सुविधा रखे जाने अथवा राशी जमा किये जाने का प्रावधान है। उक्त के संबंध मे निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 5. सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त सडक पर

			अरबनाईजेबल एरिया में पूर्व में ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 269 जोधपुर विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक योजना, आशियाना अमर बाग तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण की विवेक विहार योजना आदि अनुमोदित है जिसमें सडक मार्गाधिकार उपरान्त वृक्षारोपण पट्टी नहीं छोडी गई है। साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर प्लान की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें अरबनाईजेबल एरिया लिमिट के बाहर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान रखा गया है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में आवेदित भूमि नगरीयकरण योग्य के अन्दर स्थित होने के कारण प्लान्टेशन बेल्ट लागु नहीं होता है। अतः प्रकरण में प्लान्टेशन बेल्ट नही रखे जाते हुये शेष शर्ते पूर्वोनुमोदन की यथावत रखी जावे। साथ ही कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।**
70.		राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 304, 305 कुल रकबा 04.07.00 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना (3–बी) के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत्। आवेदक :– श्री गोपाराम पुत्र श्री बुद्धाराम भील (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट है, आवेदित भूमि तक कटाणी मार्ग उपलब्ध नहीं है, मौके पर रास्ता (डामर सडक) उपलब्ध है, खसरा संख्या 304 एवं 305 के खातेदारान द्वारा सहमति पत्र संलग्न नहीं पाया गया। 2. जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2023 के अर्तगत ओ.सी.एफ अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र के अर्तगत आरक्षित है। उक्त के कम में एक अन्य प्रकरण में राज्य सरकार स्तर से मार्गदर्शन चाहा गया है, जो आज दिनांक तक प्रक्रियाधीन है। अतः राज्य सरकार से पत्र/मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रकरण मे अग्रीम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रीट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय 12.01.2017 में निम्नानुसार वर्णित है:–** **"The open spaces, green spaces, common facilities, playgrounds, gardens, parks, recreational areas specified in the Master Devlopment Plan or Zonal Devlopment Plan shall be protected during the oprative period of the plans and even thereafter, while undertaking revision thereof or preparing a new plan and the same shall not be diverted to the use other than those specified."** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में सुविधा क्षेत्र उपयोग में मुख्यमंत्री जन आवास योजना अनुज्ञेयता के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिया जावे। तत्पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावे।
71.		राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 201/2 रकबा 01.00.08 बीघा भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बाबत्। आवेदक :– श्री रामअवतार चौहान पुत्र श्री परसराम (जोन दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य पाल 200 फीट रोड पर स्थित है, रनिंग बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। 2. आवेदित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार मुख्य पाल रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित है तथा सडक के सहारे एकल भूखण्ड अथवा 100 फीट गहराई जो भी कम हो तक व्यवसायिक तत्पश्चात् आवासीय आरक्षित है। 3. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 01.00.08 बीघा (1974.72 वर्गगज अर्थात 1651.11 वर्गमीटर) है। इस हेतु एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार सेटबैक लगाये जाने के पश्चात् हेबीटेबल स्पेस् प्राप्त नही होता है।

		भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श प्रकरण में हेबीटेबल स्पेस् प्राप्त नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
72.		राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 571/6 रकबा 00.10.11 बीघा में से 635 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती उर्मिला पटेल पत्नि श्री लक्ष्मणराम पटेल (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वी बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट रोड है। 2. प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 571/1 का भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है परन्तु प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 571/6 हेतु आवेदन किया है। जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। खसरा संख्या 571 में से मास्टर प्लान की सडक गुजर रही है। 3. प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पश्चिम में 60 फीट रास्ता दर्शाया है। उक्त रास्ता कटाण है अथवा या अन्य के परिपेक्ष में जोन से टिप्पणी अपेक्षित है तदानुसार उक्त मार्ग का मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 4. कार्यालय मे मूल खसरे मे खसरा संख्या–104/32 एक अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त एजेण्डा के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
73.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 104/11 रकबा 04.10.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती बिदामीदेवी पत्नि स्व. श्री शिवराम मेघवाल (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट कटाणी मार्ग है, मौके पर मेड एवं मुटाम लगे है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है उक्त भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है तथा डी.सी.आर अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की NON-OBNOXIOUS INDUSTRIES अनुज्ञेय है। 3. आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 159 व आपत्ति संख्या 215, आपत्ति संख्या 285 दर्ज है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है। 5. कार्यालय मे मूल खसरे मे खसरा संख्या–104/32 एक अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग की चौडाई 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपति को निरस्त समझा जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में चाहा गया उपयोग के संबंध में संबंधित विभाग से NON-OBNOXIOUS CERTIFICATE प्राप्त किया जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद

			लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
74.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 104/32 रकबा 04.10.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री पुखराज पुत्र श्री शिवराम मेघवाल (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट कटाणी मार्ग है, मौके पर मेड एवं मुटाम लगे है, रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 17 पर संलग्न है। 2. आवेदित भूमि को जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। उक्त भूमि कटाण मार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार बीपीसी एल.पी की बैठक दिनांक 23.08.2018 के प्रस्ताव संख्या 40 अनुसार 100 फीट किया गया है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है तथा डी.सी.आर अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की NON-OBNOXIOUS INDUSTRIES अनुज्ञेय है। 4. आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) अनुसार उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 159 व आपत्ति संख्या 215, आपत्ति संख्या 285 दर्ज है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 5. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षैत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है। 6. कार्यालय मे मूल खसरे मे खरारा रांख्या–104/11 एक अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपति को निरस्त समझा जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में चाहा गया उपयोग के संबंध में संबंधित विभाग से NON-OBNOXIOUS CERTIFICATE प्राप्त किया जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा

			जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
75.		राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 206/1, 624/205 रकबा 04.01.10 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– अखिल भारतीय भंसाली समाज सेवा ट्रस्ट जरिये श्री कल्याणमल भंसाली पुत्र श्री जौहरमल भंसाली (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि मुख्य पाल रोड पर स्थित है। पूर्ण भवन निर्मित है। राजस्व तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। 2. आवेदित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अर्तगत मुख्य बाडमेर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित है तथा सडक के सहारे एकल भूखण्ड अथवा 100 फीट गहराई जो भी कम हो तक व्यवसायिक तत्पश्चात् आवासीय आरक्षित है। 3. संलग्न मानचित्र पृष्ठ संख्या 40 अनुसार मौके पर सडक के मध्य से लगभग 80 फीट दूरी पर निर्माण है। तथा हॉल ,हॉस्टल आदि निर्माण है जो कि आवासीय श्रेणी में नही आते है उक्त के कम में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. आवेदित भूमि के दक्षिण में अमरगढ मेरिज रिसोर्ट हेतु जाने वाला रास्ता दर्शाया गया है, जोन रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के पश्च भाग में खसरा सख्या 208 व 209 अनुमोदित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
76.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 131/1 रकबा 06.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री शोभाराम पुत्र श्री मिसराराम उर्फ मिसुराम (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट कटाणी मार्ग खसरा संख्या 132/12 व 132/13 में से है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है तथा डी.सी.आर अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की NON-OBNOXIOUS INDUSTRIES अनुज्ञेय है। 3. आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) अनुसार उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 159 व आपत्ति संख्या 215, आपत्ति संख्या 285 दर्ज है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षैत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है।

			समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग की चौडाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपति को निरस्त समझा जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में चाहा गया उपयोग के संबंध में संबंधित विभाग से NON-OBNOXIOUS CERTIFICATE प्राप्त किया जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
77.		राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 122, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11 रकबा 24.01.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) में से ईन्फोर्मल भाग का योजना मानचित्र बाबत्। आवेदक :– श्री रामजीयावन पुत्र श्री बेकारू (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 122, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11 का मानचित्र बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 11.05.2017 को अनुमोदित किया गया। आवेदक द्वारा उक्त योजना में दशीत ईन्फोर्मल मार्कट का अनुमोदन चाहा गया है। 2. प्रस्तुत मानचित्र में 16 दुकानें दशायी गयी है तथा 28.41 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज दशाया गया है। 3. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार प्रत्येक 100 आवासीय भूखण्ड पर 10 दुकानें आवश्यक है। उक्त योजना में कुल 149 भूखण्ड अनुमोदित है तथा प्रकरण का विस्तृत तकनीकी परीक्षण पत्रावली के पैरा संख्या 46 पर अवलोकनीय है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार निदेशक आयोजना अपने स्तर पर नियमानुसार उपविभाजन की कार्यवाही करे।**
78.		राजस्व ग्राम निम्बला के खसरा संख्या 6/2 रकबा 04.03.00 बीघा, खसरा संख्या 6/3 रकबा 04.04.00 बीघा, खसरा संख्या 6/4 रकबा 04.04.00 बीघा,	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार A. तहसीलदार राजस्व के पत्र क्रमांक 05 दिनांक 08.01.14 के अनुसार खसरे के पास गै.मु. नाली है, अब्दुल रहमान बनाम

		कुल रकबा 12.11.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :— श्री सोहनराम पुत्र श्री बींजाराम (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुये ही विकास की कार्यवाही की जानी है। B. तहसीलदार प्राधिकरण की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट खसरा संख्या 20 में से उपलब्ध है, खसरा संख्या 20 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। उक्त आवेदित खसरे के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 05 श्रेणी गै.मु. बाला की भूमि स्थित है। लूणी नदी के नजदीक होने से बहाव क्षेत्र की तकनीकी रिपोर्ट ली जानी उचित रहेगी। C. आवेदक द्वारा खसरा संख्या 6/2 रकबा 04.03 बीघा आवेदन प्रस्तुत किया है, जिनका प्रकरण संख्या 203/13 है तथा खसरा संख्या 6/3 व 6/4 रकबा 08.08 बीघा का आवेदन पृथक से किया गया, जिनका प्रकरण संख्या 206/13 है। उक्त समस्त खसरान का संयुक्त ले—आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। D. आवेदक की मृत्यु हो चुकी है विरासत से सोहनराम फौत के स्थान पर रूकमादेवी पत्नि सोहनराम, डुंगरराम, कैलाश पुत्र सोहनरा, रिंकी पुत्री सोहनराम, ना. बालिग डुंगरराम, कैलाश, रिंकी की वली माता रूकमादेवी पत्नि सोहनराम जाति मेघवाल निवासी—कांकाणी दर्ज हो चुका है। 2. आवेदित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू—3 (हाईव कोरिडोर जोन) प्रयोजनार्थ आरक्षित है। डीसीआर अनुसार यू—3 (हाईव कोरिडोर जोन) में टाउनशिप योजना हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर तथा 30 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया गया है तथा खसरा विशेष पर आपत्ति दर्ज नही है। 3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1ए व 1बी के परिपेक्ष में सिचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाकर प्रभावित क्षेत्र के उपरान्त नियमानुसार वृक्षारोपण छोडा जाना प्रस्तावित है। साथ ही डी. सी.आर अनुसार आवेदित भूमि को न्यूनतम 100 फीट पहुंच मार्ग की सूनिश्चिता उपरान्त आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। 4. खसरा संख्या 20 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है, तथा डी.सी.आर अनुसार आवेदित भूमि हेतु न्यूनतम 30 मीटर सडक आवश्यक है। उक्त के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया प्रस्तावित है। 5. प्रकरण में पत्रावली के बिन्दु संख्या 12 पर खसरा संख्या 6/2 अनुसार टिप्पणी कि गयी है, तथा आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 6/2, 6/3 व 6/4 को एग्जाई करते हुए स्किम (योजना) अनुमोदन चाहा गया है। 6. प्रस्तुत मानचित्र में ईडब्यूएस/एल.आई.जी को प्रतिशत न्यूनतम आवश्यक विक्रय योग्य क्षैत्रफल के 10 प्रतिशत क्षैत्रफल से कम है अतः मानचित्र में नियमानुसार संशोधन अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले—आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया —** 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में सिंचाई विभाग से डूब क्षेत्र हेतु अनापत्ति/तकनिकी रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा प्रभावीत क्षेत्र उपरान्त 100 वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 2. एजेण्डा के बिन्दु रांख्या 2 व 4 के क्रम में सडक जेडीए की भूमि से प्राप्त होती है, उसकी नियमानुसार राशि ली जावे एवं रास्ता की फिजिएबिलिटी जोन द्वारा जांची जावें तथा मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 व 6 के संबंध में नियमानुसार संशोधन किया जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद

			लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
79.		राजस्व ग्राम निम्बला के खसरा संख्या 4 रकबा 04.08.00 बीघा, खसरा संख्या 4/1 रकबा 00.01.00 बीघा, खसरा संख्या 4/2 रकबा 03.19.00 बीघा, खसरा संख्या 4/3 रकबा 01.10.00 बीघा, खसरा संख्या 4/4 रकबा 00.01.00 बीघा, खसरा संख्या 4/5 रकबा 00.10.00 बीघा, खसरा संख्या 4/6 रकबा 03.19.00 बीघा, खसरा संख्या 4/7 रकबा 03.19.00 बीघा, खसरा संख्या 4/8 रकबा 00.10.00 बीघा, खसरा संख्या 4/9 रकबा 03.19.00 बीघा, कुल रकबा 23.14.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्री केवलराम पुत्र श्री भींयाराम (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार A. राजस्व के पत्र कमांक 07 दिनांक 08.01.14 के अनुसार खसरे के पास गै.मु. नाली है, अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ही विकास की कार्यवाही की जानी है। B. तहसीलदार प्राधिकरण की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट खसरा संख्या 20, 5 में से उपलब्ध है, खसरा संख्या 20 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या 05 राजस्थान सरकार के नाम राजकीय भूमि दर्ज है तथा उक्त खसरे की श्रेणी गै.मु बाला दर्ज है। C. लूणी नदी के नजदीक होने से बहाव क्षैत्र की तकनीकि रिपोर्ट ली जानी उचित रहेगी। खसरा संख्या 4 के तीनो तरफ गै.मु. बाला की भूमि स्थित है। D. आवेदक द्वारा खसरा संख्या 4/1 से 4/6 व 4/8 रकबा 11.08 बीघा आवेदन प्रस्तुत किया है, जिनका प्रकरण संख्या 204/13 है तथा खसरा संख्या 4, 4/7, 4/9 रकबा 12.06 बीघा का आवेदन पृथक से किया गया, जिनका प्रकरण संख्या 205/13 है। उक्त समस्त खससरान का संयुक्त ले–आउट प्रस्तुत किया गया है। 2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1ए, 1बी व 1सी के परिपेक्ष में सिचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाकर प्रभावित क्षैत्र के उपरान्त नियमानुसार वृक्षारोपण छोडा जाना प्रस्तावित है। साथ ही डी.सी.आर अनुसार आवेदित भूमि को न्यूनतम 100 फीट पहुंच मार्ग की सूनिचिश्ता उपरान्त आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–3 (हाईव कोरिडोर जोन) प्रयोजनार्थ आरक्षित है। डीसीआर अनुसार यू–3 (हाईव कोरिडोर जोन) में टाउनशिप योजना हेतु न्यूनतम क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर तथा 30 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया गया है तथा खसरा विशेष पर आपत्ति दर्ज नही है। 4. वर्तमान नियमों/परिपत्रों/नीतियों के परिपेक्ष में मानचित्र में संशोधन अपेक्षित है तथा आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में दर्शित रास्ता बाला की जमीन में दर्शाया गया है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त कटाण रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को उक्त की सुनिश्चितता बाबत् प्रार्थी को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 A, 1 B व 2 के क्रम में सिंचाई विभाग से डूब क्षेत्र हेतु अनापत्ति/तकनिकी रिपोर्ट प्राप्त किये**

			जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
80.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 120/2 रकबा 02.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री बींजाराम पुत्र श्री मादाराम भील (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट में आवेदित भूमि का मार्गाधिकार रोड के मध्य से 56 फीट है, सालावास बोरानाडा रोड पर स्थित है। 2. आवेदित भूमि को जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। उक्त भूमि बोरानाडा से सालावास जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 160 फीट है तथा आवेदित भूमि में से मास्टर प्लान की 100 फीट गुजरती है। जिसका निर्धारण आवेदक से गुगल मानचित्र प्राप्त किये जाने उपरान्त किया जाना है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है तथा डी.सी.आर अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की NON-OBNOXIOUS INDUSTRIES अनुज्ञेय है। 4. आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) अनुसार उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 159 व आपत्ति संख्या 215, आपत्ति संख्या 285 दर्ज है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 160 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 80 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपति को निरस्त समझा जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में चाहा गया उपयोग के संबंध में संबंधित विभाग से NON-OBNOXIOUS CERTIFICATE प्राप्त किया जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 8. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
81.		राजस्व ग्राम सरेंचा, खेडा सरेंचा के खसरा संख्या 446/2 रकबा 07.08.00 बीघा, खसरा संख्या 446/3 रकबा 07.08.00 बीघा, खसरा संख्या 771	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट

		रकबा 09.04.00 बीघा, खसरा संख्या 771/1 रकबा 09.04.00 बीघा कुल रकबा 33.04.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती गजरा पत्नि श्री नगाराम व सुश्री चन्द्रा पुत्र श्री नगाराम फौत (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	2. कटाण रास्ता है। प्रकरण में दिनांक 21.08.14 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत निर्णय पारित किया जा चुका है तथा भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। आवेदक द्वारा पूर्व में कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया था। अब आवेदक ने प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा गया है। 3. पत्रावली के पैरा संख्या 25 पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि रेलवे लाईन के लगती है तथा 100 फीट रोड गुजरती है। आपति संख्या 285 व 215 दर्ज है। अतः रेलवे सीमा से 100 फीट दूरी तथा आपति के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रस्तावित भूमि के सामने दर्शायी गयी सडक का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 5. प्रारूप–7 पर नोट अंकित है। जिसके सबध में जोन स्तर से समीक्षा/टिप्पणी की जानी अपेक्षित है। 6. आवेदित प्रकरण के समीप में खसरा संख्या 446/4 भी प्राधिकरण में विचाराधीन है। 7. प्रकरण बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 23.08.2018 में रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–" समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सडक के कारण आवेदित भूमि विभाजित होने के कारण योजना मानचित्र बनाये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।" **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सडक को निःशुल्क समर्पित की जावे तथा प्राप्त आपत्ति को समिति द्वारा सामान्य माना गया है। अतः उक्त आपति को निरस्त समझा जावे। 3. आवेदित भूमि रेलवे लाईन के समीप स्थित है। अतः रेलवे विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही पट्टा जारी करने की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे। 4. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 9. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को

			सेक्टर / जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर / जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
82.		राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 174 / 8 रकबा 12.01.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री पुखराज पुत्र श्री चुन्नीलाल (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08 / 2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रकरण में 90–बी दिनांक 05.07.2008 को हो चुकी है तथा भूमि न्यास के नाम हो चुकी है। मौके पर एक हॉल, अन्य पक्का निर्माण एवं जिसमें विभिन्न गतिविधियों का संचालन पाया गया। 2. आवेदक द्वारा पूर्व में आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया तत्पश्चात दिनांक 02.07.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा चाहा गया, जिसकी प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 47 पर संलग्न है। 3. आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन औद्योगिक उल्लेख किया गया है मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट उपयोग में गतिविधि स्पष्ट नही है। मास्टर प्लान 2031 के पृष्ट संख्या 126 अनुसार ट्रांसपोर्ट हब में ऑटो मोबाईल कम्पनियों के शोरुम, ओटो मोबाईल मार्केट, कस्टमर केयर सेन्टर, सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, स्पेयर पार्टस शॉप, रिपेयरिंग शॉप, विश्राम स्थल, सामान्य दुकाने, रेस्टोरेन्ट, ट्रको को पुनः लोडिग करने के लिए प्रतिक्षा हेतु आईडियल पार्किग स्थल, वेयर हॉउस एवं गोदाम, प्रशासनिक कार्यालय, फायर स्टेशन, पोस्ट आफिस इत्यादि विभिन्न सम्बिन्धित सुविधाओं को विकसित किया जावेगा। <u>इस क्षैत्र में इस क्षैत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मॉडल रेगलेशन के अनुसार विकास किया जा सकेगा।</u> अतः समिति द्वारा उक्त उपयोग में अनुज्ञेता के संबध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रारूप–7 अनुसार मौके पर एक हॉल, एवं अन्य पक्का निर्माण है, तथा आवेदित भूमि को 60 फीट पहुंच मार्ग पूर्व स्वीकृत योजना (थार ड्राईपोर्ट) से प्राप्त हो रहा है। 5. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 32 पर पूर्व में प्रस्तुत ले–आउट प्लान संलग्न है जिसमें खसरा संख्या 174 / 8 की भूमि को पूर्व दिशा में एन.एच. के लगते हुये दर्शाया गया है परन्तु वर्तमान में प्रस्तुत मानचित्र में एन. एच. नहीं दर्शाया गया है। साथ ही पृष्ठ संख्या 34 व 44 पर संलग्न खसरा मानचित्र में भिन्नता है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में आवेदित भूमि का भू–उपयोग भिन्न होने से अनुज्ञेय नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किया गया।**
83.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 49 / 13 रकबा 01.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती नीलम पारख पत्नि श्री सुरेन्द्र पारख (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08 / 2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट में आवेदित भूमि मुख्य सालावास बोरानाडा रोड पर स्थित है, आवेदित भूमि रोड के मध्य से 40 फीट पर स्थित है। 2. आवेदित भूमि को जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। उक्त भूमि बोरानाडा से सालावास जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 160 फीट है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है तथा डी.सी.आर अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर सभी प्रकार की NON-OBNOXIOUS INDUSTRIES अनुज्ञेय है। 4. प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के उतर में 30 फीट सडक दर्शायी गयी है, उक्त सडक कटाण मार्ग है अथवा अन्य के परिप्रेक्ष्य में जोन से रिपोर्ट अपेक्षित है तदुपरान्त उक्त सडक का मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना

			प्रस्तावित है। 5. आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) अनुसार उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 159 व आपत्ति संख्या 215, आपत्ति संख्या 285 दर्ज है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 160 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 80 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपति को सामान्य सुझाव माना गया है। अतः उक्त आपति को निरस्त समझा जावे। 3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में संबंधित विभाग से NON-OBNOXIOUS certificate प्राप्त किया जावे। 4. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में आवेदित भूमि के उतर में स्थित सडक का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे, जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 9. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
84.		राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 241/1 रकबा 04.00.00 बीघा, खसरा संख्या 241/4 रकबा 00. 10.00 बीघा, खसरा संख्या 241/5 रकबा 06.00. 00 बीघा, खसरा संख्या 241/6 रकबा 06.00.00 बीघा, कुल रकबा 16.10.00 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3–ए के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती सरिता लोढा पत्नि श्रीपालराज लोढा (जोन दक्षिण)	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 30 फीट है, जो रेल्वे कॉलोनी में से उपलब्ध है। रनिंग बाउण्ड्री वॉल है। खसरे के संबंध में चैनाराम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिसमें विधिक परीक्षण करवाए जाने पर विवाद इस खसरे के संबध में नही होने बाबत् टिप्पणी पत्रावली के पैरा संख्या 01 से 06 पर संलग्न है। पटवारी व निरीक्षक (भू.अ.) प्राधिकरण की रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 07 एवं ले–आउट सुपरइम्पोज सी, सी–1, डी, डी–1 वाला क्षेत्र आवेदक के कब्जे में नहीं है। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान–2023 अनुसार भू–उपयोग आवारीय एवं आशिंक पूर्वी भाग प्रस्तावित सडक के अंर्तगत आरक्षित है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित सडक का अंकन प्रारूपकार से मानचित्र पर करवाया जाना प्रस्तावित है। 3. पेरा 1/एन में उल्लेख अनुसार संपर्क सड़क की सुनिश्चितता की जानी अपेक्षित है।

		भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 30 फीट रखा जावे। तथा एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में मानचित्र में दर्शित कब्जे से बाहर की भूमि से प्राप्त पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में उपायुक्त विधिक बाबत् टिप्पणी प्राप्त करते हुये पुनः जांच करे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत गठित प्रोजेक्ट अनुमोदन समिति से प्रोजेक्ट अनुमोदन करवाया जाना होगा। 8. उक्त ले–आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने पर पुन समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा। 9. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
85.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 126/20, 126/16 रकबा 04.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री मदनलाल पुत्र श्री घेवरराम, श्रीमती सुगणा पत्नी श्री देवाराम, कुमारी पूजा पुत्री श्री देवाराम, कुमारी सरोज पुत्री श्री देवाराम, श्री भरतराज पुत्र श्री अन्नाराम (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार कटाणी मार्ग है। खसरा संख्या 126/2 में आपत्ति प्राप्त हुई है। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 126/16, 126/20 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2. आवेदित भूमि जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक है। डीसीआर अनुसार 60 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर Non obnoxious industries अनुज्ञेय है। 3. आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031(ड्राफ्ट) अनुसार उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 285 व आपत्ति संख्या 215, आपत्ति संख्या 159 दर्ज है। उक्त के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. खसरा मानचित्र अनुसार खसरा संख्या 126/16 व 126/20 के पूर्व दिशा में अन्य खसरे प्रतीत होते है तथा मानचित्र में खसरा संख्या 126/2 अंकित है। उक्त के संबंध में जोन से रिपोर्ट अपेक्षित है। 5. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षैत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में

			न्यायालय में वाद विचाराधीन होने तथा सामलाती खातेदारी होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
86.		राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 283/4 रकबा 02.04.00 बीघा, खसरा संख्या 283/7 रकबा 02.05.00 बीघा, कुल रकबा 04.09.00 बीघा भूमि का ट्रांसपोर्ट प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री गोरधनराम पुत्र श्री भींयाराम (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य सालावास बोरानाडा सडक पर स्थित है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 अनुसार ट्रांसपोर्ट भू–उपयोग आरक्षित है। आवेदित भूमि बोरानाडा से सालावास जाने वाली सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 160 फीट हैं। उक्त उपयोग में पूर्व में समिति द्वारा ट्रासपोर्ट प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) अनुमोदित किये गये हैं। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख स्थित पहुंच मार्ग की चौडाई 160 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 80 फीट छोडा जावे एवं सडक मार्गाधिकार में आने वाली भूमि प्राधिकरण के निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 5. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
87.		राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 221 व 226 रकबा 94.06.00 बीघा में पत्रकार आवासीय योजना हेतु आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. प्रकरण के संबंध में पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पत्रकार योजना की लॉटरी दिनांक 04.10.2013 को निकाली गई थी। आदर्श आचार संहिता लागु होने के कारण उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। 2. श्रीमान् आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित बैठक दिनांक 14.09.2018 के निर्णयानुसार उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। 3. प्रश्नगत भूमि का मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार मिश्रित भू–उपयोग सडक मार्गाधिकार (200 फीट) व आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त लोकेशन पर मास्टर प्लान 2023 अनुसार सडक मार्गाधिकार (200 फीट) पश्चात 100 फीट का प्लान्टेशन बेल्ट रखा गया है। मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार उक्त लोकेशन पर सडक मार्गाधिकार पश्चात प्लान्टेशन बेल्ट नहीं दर्शाया गया है। वृक्षारोपण पट्टी के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. उक्त योजना को 80 फीट पहुँच मार्ग प्राधिकरण की पूर्व में अनुमोदित कर्मचारी कॉलोनी से प्राप्त होता है। 5. उक्त योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 1 ए अनुसार "For Uit/Devlopment Authorities/ULBs 25% of scheme area shall be reserved for Plots/Flats for

		EWS/LIG category as the case may be'' का प्रावधान है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में आवेदित योजना पत्राकारों हेतु होने से विशेष वर्ग की है। अतः समस्त ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भूखण्ड देने के स्थान पर कुछ भूखण्ड तथा शेष एकल भूखण्ड (फ्लेटेड) रखा जावे। 2. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।
88.	राजस्व ग्राम सतलाना के खसरा संख्या 759/1 रकबा 06.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती रुपीदेवी पत्नि श्री जालाराम (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य सतलाना धुंधाडा 100 फीट पर स्थित है। 2. जोधपुर मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण ऐरिया में स्थित है। उक्त आवेदित भूमि लूणी से सतलाना होते हुए दूधीया जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार 200 फीट व तत्पश्चात् वृक्षारोपण पटटी हेतु 100 फीट आरक्षित है। डी.सी.आर अनुसार 40 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर फार्म हाउस अनुज्ञेय है तथा खसरा विशेष पर कोई आपत्ति दर्ज नही है। 3. आवेदित भूमि आवेदन अनुसार रकबा 06.00.00 बीघा है परन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 05.18.03 बीघा दर्शाया गया है तथा खसरा ट्रैस में आवेदित भूमि के दक्षिण में 3 लाईन दशायी है इस सम्बध में जोन से रिपोर्ट लिया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख स्थित पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडा जावे एवं सडक मार्गाधिकार में आने वाली भूमि प्राधिकरण के निःशुल्क समर्पित की जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जावे। 2. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में जोन से रिपोर्ट ली जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
89.	राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740 रकबा 01.02.06 बीघा भूमि का	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60

		औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– शंखेश्वर स्टील जरिये भागीदार श्रीमती इन्द्रा जैन पत्नि श्री प्रवीण जैन (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	फीट बासनी योजना में खातेदार द्वारा छोडे गये एवं मौके पर उपलब्ध 60 फीट रास्ता से उपलब्ध है, चार दीवारी निर्मित है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है। अतः उक्त के क्रम में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
90.		राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1088/740 रकबा 00.18.52 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री राजेन्द्र कुमार लोहिया पुत्र श्री अमरचन्द लोहिया (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट बासनी योजना में खातेदार द्वारा छोडे गये एवं मौके पर उपलब्ध 60 फीट रास्ता से उपलब्ध है, चार दीवारी निर्मित है। 2. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2023 अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. आवेदक द्वारा मूल खसरे में से 1499 वर्गगज का आवेदन किया गया तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु न्यूनतग 24 मीटर सडक आवश्यक है। अतः उक्त के क्रम में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर

			कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
91.		राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740 रकबा 01.02.06 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– मैसर्स पारस इण्डस्ट्रीज जरिये भरतकुमार पारख पुत्र श्री पारसमल पारख (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट बासनी योजना में खातेदार द्वारा छोडे गये एवं मौके पर उपलब्ध 60 फीट रास्ता से उपलब्ध है, चार दीवारी है। 2. आवेदित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 3. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षैत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर सडक आवश्यक है। अतः उक्त के कम में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।

92.		राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 723/6 रकबा 13.13.00 बीघा भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती संतोष कोठारी पत्नि श्री अभय कोठारी (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट कांकाणी से लूणी मुख्य सडक पर स्थित है। पुरानी सामग्री लखडी कबाड का स्टोक पडा है, निर्माण है एवं व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है। आवेदक द्वारा पूर्व में कृषि आधारित प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत कर रखा था अब मास्टर प्लान 2031 के अनुसार व्यवसायिक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आवेदनन प्रस्तुत किया है। 2. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–2 में स्थित है। उक्त भूमि में से मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) की प्रस्तावित 30 मीटर (100 फीट) रोड गुजरती है। उक्त भूमि कांकाणी से लूणी जाने वाली स्टेट हाइवे स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार 200 फीट व तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पटटी छोडी जानी होगी। जिसका अंकन प्रारूपकार से मानचित्र पर करवाया जाना अपेक्षित है। 3. आवेदक द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया परन्तु डी.सी. आर अनुसार यू–2 में सामान्य व्यवसायिक उलेखित नही होने के कारण आवेदक से प्रयोजन स्पष्ट किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदक से प्रयोजन स्पष्ट करते हुये उक्त प्रयोजन डी.सी.आर. में अनुज्ञेय होने पर निम्नांकित शर्तो के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडा जावे एव सडक मार्गाधिकार की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जावे, इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट प्लान्टेन्शन रखा जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजरने वाली मास्टर प्लान की 100 फीट सडक प्राधिकरण हक में निःशुल्क समर्पित की जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्गेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
93.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 93 रकबा 1500 वर्गगज भूमि का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्रीमती रेखा देवडा पत्नि श्री राजेश	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट मुख्य सालावास रोड पर स्थित है। ग्राम सालावास के खसरा संख्या 93 रकबा 12 बीघा में से 1463 वर्गमीटर ब्लॉक संख्या 09 का संपरिवर्तन अतिरिक्त तहसीलदार लुणी के पत्रांक 341/94/ 2007 दिनांक 05.12.1994 को किया जा चुका है बाद संपरिवर्तन आदिनांक तक उक्त भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ नहीं किया गया है मौके पर आवेदक के

		देवडा (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	ब्लॉक संख्या 09 पर चारदीवारी निर्मित है उक्त सम्पूर्ण खसरे की अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय पट्टो को यदि निर्धारित अवधि तक नियमानुसार उपयोग नहीं लिया जाने पर उक्त संपरिवर्तन को निरस्त(अप्रभावी) करने की स्थिति में उक्त खसरा संख्या 93 के पुनः कृषि भूमि घोषित होने पर उक्त खसरे की भूगि संयुक्त खातेदारी को मानी जावेगी। आवेदक के पास पृथक से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख ब्लॉक संख्या 09–ए का 1254.15 वर्गमीटर है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का संपरिवर्तन भू–उपयोग बाबत प्रत्याहत अनुज्ञा सक्षम स्तर से की जाकर नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि अपेक्षित है। 2. पत्रावली के पैरा संख्या 16 पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 में परिधि नियंत्रण पट्टी आरक्षित है व मुख्य जोधपुर–सालावास सडक पर स्थित है मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित है। साथ ही पत्रावली के पैरा संख्या 89 पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदित मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मुख्य जोधपुर–सालावास रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 48 मीटर दर्शाया गया है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीसीआर में फ्यूल फिलिंग स्टेशन को 60 फीट व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। पैट्रोल पम्प का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु यू–3 तथा रूरल डीसीआर में वाणिज्यिक उपयोग में पैट्रोल पम्प पृथक से दर्शाया गया है। अतः अनुज्ञेयता व सडक मार्गाधिकार तथा मार्गाधिकार उपरान्त प्लान्टेशन के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 3. उक्त गांव पर औद्योगिक प्रयोजन पर आपति संख्या 215 दर्ज है। अतः आपति के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रकरण पूर्व में दिनांक 21.09.2016 को इन्टर सेक्शन दूरी नियमानुसार नहीं होने के कारण प्रार्थी को सूचित किया गया जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा परिपत्र दिनांक 20.12.2016 संलग्न करते हुये तदनुसार कार्यवाही चाही गई है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 2.4 निम्नानुसार उल्लेख है '' इण्टर सेक्शन की दूरी में वर्णित सडक की चौडाई इण्टर सेक्टिंग सडक ही है न कि उक्त सडक की जिस पर पैट्रोल पम्प प्रस्तावित है। 12 मीटर एवं 12 मीटर से अधिक चौडी सडको को ही इण्टर सेक्शन माना जावेगा।'' 5. उक्त भूखण्ड संलग्न मानचित्र पृष्ठ संख्या 19 अनुसार कॉर्नर का भूखण्ड है। आवेदित भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में क्रमशः 100 फीट सडक, 25 फीट सडक, 25 फीट सडक व ब्लॉक संख्या 09 दर्शाया गया है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार सक्षम स्तर से पट्टा निरस्त नहीं किया है। अतः उक्त के खारिज नहीं होने के कारण प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.06. 2015 एवं 16.04.2010 अनुसार कार्यवाही कर नियमानुसार राशि जमा करवाते हुये ले–आउट प्लान जारी करने का निर्णय लिया गया।**
94.		राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 45/11 रकबा 00.12.00 बीघा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) बाबत्। आवेदक :– श्री रामकरण बेनीवाल पुत्र श्री	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार पार्श्वनाथ सिटी के स्वीकृति मानचित्र में उपलब्ध 60 फीट मार्ग एवं आवेदित भूमि के मध्य 10 फीट चौडा ग्रीन एरिया है। 2. समीप के भूखण्ड का पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 04.01. 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में बीपीसी एलपी की बैठक दिनांक 11.05.2017 में रखा जाकर अनुमोदन किया गया।

		जगमालराम (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	3. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवासीय भाग छोडते हुए शेष होटल प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड का पट्टा चाहा गया है। 4. आवेदित भूमि का जमांबदी अनुसार 1167.08 वर्गगज प्राप्त होता है। जिसमें 8.33 वर्गगज आवासीय व शेष होटल जोन में आरक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग पार्श्वनाथ सिटी के स्वीकृत मानचित्र में उपलब्ध 60 फीट मार्ग एवं आवेदित भूमि के मध्य 10 फीट चौडा ग्रीन एरिया से प्राप्त माना जावे। 2. आवेदक को आवेदित भाग में आवासीय को छोडकर शेष होटल भाग का अनुमोदन किया जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
95.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 86/1 रकबा 15.00.00 बीघा, खसरा संख्या 84 रकबा 06.14.00 बीघा, खसरा संख्या 87/5 रकबा 16. 15.00 बीघा खसरा संख्या 87/6 रकबा 03.05.00 बीघा खसरा संख्या 87 रकबा 25.00.00 बीघा खसरा संख्या 78/2 रकबा 04.00.00 बीघा खसरा संख्या 78/4 रकबा 03.15.00 बीघा खसरा संख्या 78/3 रकबा 01.11.10 बीघा कुल रकबा 76.00.10 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (योजना) बाबत्। आवेदक :– श्री विक्टोरिया इन्फ्रा होल्डिंग्स प्रा. लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जयकुमार पहाडिया पुत्र श्री दीपचन्द पहाडिया बहैसियत आम–मुख्यार श्री प्रतापराम पुत्र श्री कालूराम वगैरह (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार मुख्य सालावास रोड है, आवेदित भूमि के मध्य खसरा संख्या 85 रकबा 07.07 स्वामित्व जेडीए की भूमि में से 05.06.10 बीघा भमि पर आवेदक ने कब्जा काश्त के आधार पर संयुक्त मानचित्र प्रस्तुत किया है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) के अर्न्तगत औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। उक्त भूमि जोधपुर–सालावास रोड पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) 48 मीटर (160 फीट) दर्शाया गया है। डी.सी.आर. अनुसार औद्योगिक उपयोग में all types of obnoxious industries को 18 मीटर (60 फीट) व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। अतः संबंधित विभाग से Non Pollution certificate लिया जाना अपेक्षित है। 3. आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव/विश्लेषण मास्टर प्लान 2031(ड्राफ्ट) अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति संख्या 188 क्रम संख्या 211 प्राप्ति दिनांक 29.08.2014 दर्ज है। उक्त गांव पर आपत्ति संख्या 215, 285 व 159 दर्ज है। अतः खसरा विशेष पर आपत्ति होने के कारण सक्षम स्तर से प्राप्त आपत्ति निस्तारण उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। 4. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार संशोधन अपेक्षित है, तथा आवेदक द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजीएच हेतु भूखण्ड नहीं दर्शाये गये है, जिस हेतु संशोधन अपेक्षित है। 5. आवेदित भूमि के प्रस्तावित मानचित्र का रकबा तथा जमाबंदी

		08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	अनुसार रकबा भिन्न है, इस हेतु जोन स्तर पर जांच उपरान्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। 6. खसरा मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि व कटाण मार्ग के मध्य खसरा संख्या 87/4 स्थित है जिस कारण आवेदित भूमि को सीधा पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होता है। अतः पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। 7. आवेदित भूमि के मध्य स्थित जेडीए भूमि खसरा संख्या 85 रकबा 05.06.10 बीघा सम्मिलित है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुये ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि में स्थित सरकारी भूमि को छोडते हुये शेष भाग का मानचित्र अनुमोदित किया जावे। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 3. प्राप्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा उक्त आपति को सामान्य माना गया है। अतः उक्त आपति को निरस्त समझा जावे। 4. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में संबंधित विभाग से NON-OBNOXIOUS certificate प्राप्त किया जावे। 5. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में नियमानुसार संशोधन किया जावे। 6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 व 6 के क्रम में जोन द्वारा जांच की जाकर तद्नुसार कार्यवाही की जावे। 7. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रीको द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक योजना में एकल भूखण्डों का किया गया है। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 11. कार्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2018 को सेक्टर/जोनल प्लान(प्रारूप)–जोन पूर्व का अनुमोदन कर दिनांक 03.10.2018 को आम जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त प्रारूप सेक्टर/जोनल प्लान के प्रस्तावों का समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
96.		राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 रकबा 33.17.00 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3–बी के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत्। आवेदक :– सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट है, मूल खसरा संख्या 177 में से पूर्व में रकबा 06.15.10 बीघा भूमि नगर विकास न्यास, जोधपुर के नाम हो चुकी है। इस प्रकार नगर सुधार न्यास एवं आवेदक दोनो वर्तमान में संयुक्त खातेदार दर्ज है। पहुंच मार्ग निहो सिटी की स्वीकृत योजना में से प्राप्त हो रहा है। 2. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) के अर्न्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। आयोजना

		श्रीमती बबरीदेवी पत्नि श्री रामचन्द्र (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव/विश्लेषण मास्टर प्लान 2031(ड्राफ्ट) अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति संख्या 712 प्राप्ति दिनांक 29.08.2014 प्राप्त हुई है। अतः प्रकरण में सक्षम स्तर से प्राप्त आपत्ति निस्तारण उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। 3. प्रकरण से संबंधित शेष अन्य तकनिकी तथ्य प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन अन्य प्रकरण संख्या 65/18 के समान है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत ले–आउट अनुमोदित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार बिल्डिंग प्लान एवं प्रोजेक्ट अनुमोदन पृथक से करवाया जाना होगा। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा डीपीआर जोन/अभियांत्रिकी शाखा में प्रस्तुत की जावे। 3. प्रकरण में आवेदित भूमि के समीप अनुमोदित योजना निहो सिटी अनुमोदन के समय रोड नेटवर्क निर्धारित किया जा चुका है, तथा आवेदित भूमि में निहो सिटी का चौराहा निर्मित पाया गया। अतः रोड नेटवर्क आदि यथावत रखे जावे। 4. आवेदित भूमि की तरमीम की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 5. आवेदित भूमि के मध्य स्थित अन्य खसरों को न्यूनतम 40 फीट मार्ग उपलब्ध करवाया जावे। 6. आवेदित भूमि नदी के सहारे स्थित होने के कारण सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे। तथा प्रभावी क्षेत्र के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 7. प्रस्तुत मानचित्र में सुविधा क्षेत्र नियमित आकार में नहीं छोडा गया है, जिससे निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है। अतः नियमानुसार संशोधन किया जावे। 8. समिति द्वारा प्राप्त आपत्ति को सामान्य माना गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 9. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 10. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल संख्या 3 बी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः नियमानुसार 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र व 05 प्रतिशत पार्क रखा जावे। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 13. उक्त ले–आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने पर पुन समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा।
97.		राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 172 रकबा 04.00.00 बीघा, खसरा संख्या 176 रकबा 09.00.00 बीघा खसरा संख्या 172/6 रकबा 13.12.00 बीघा खसरा संख्या 171 रकबा 11.13.00 बीघा खसरा संख्या 171/1 रकबा 03.10.00 बीघा खसरा संख्या 172/5 रकबा 04.03.00 बीघा खसरा संख्या 172/4 रकबा 05.10.00 बीघा	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार पूर्व में स्वीकृत योजना निहो सिटी में से है, आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग पूर्व स्वीकृत योजना निहो सिटी से प्राप्त हो रहा है, योजना के भीतर खसरा संख्या 172/2 व 176/1 की अन्य निजी खातेदारी भूमि स्थित है। आवेदित भूमि के कुछ भाग पर निहो सिटी का चौराहा निर्मित पाया गया। आवेदित भूमि के उत्तरी एवं पश्चिमी दिशा की सीमा से लगती हुई जोजरी

		खसरा संख्या 172/1 रकबा 06.00.00 बीघा खसरा संख्या 172/8 रकबा 13.09.00 बीघा खसरा संख्या 172/3 रकबा 17.05.00 बीघा खसरा संख्या 176/3 रकबा 10.00.00 बीघा खसरा संख्या 176/4 रकबा 15.00.00 बीघा कुल रकबा 113.02.00 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3–बी के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत्। आवेदक :– श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री प्रतापसिंह, श्रीमती अन्तरा देवी पत्नि श्री हनुमानराम, श्रीमती बबरीदेवी पत्नि श्री रामचन्द्र, सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक हनुमानराम जावा पुत्र श्री रामदी, सनसिटी बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक ललिता परिहार पत्नि श्री चन्द्रशेखर (जोन दक्षिण) भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018	नदी स्थित है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) के अर्न्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है व आंशिक भाग नदी के सहारे–सहारे 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में स्थित है। उक्त भूमि में से मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) की प्रस्तावित 48 मीटर (160 फीट) सडक गुजरती हुई दर्शाई गई है। अतः मानचित्र में नियमानुसार संशोधन अपेक्षित है। 3. मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) रिपोर्ट अनुसार आवासीय उपयोग में डी.सी.आर. अनुसार ग्रुप हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग को 18 मीटर (60 फीट) व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। अतः प्रकरण में न्यूनतम 60 फीट सडक की सुनिश्तिता उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। समीप के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित 40 फीट व अधिक मार्गाधिकार की सडको को नियोजन की दृष्टि से नियमित रखा जाना प्रस्तावित है। साथ ही जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के कुछ भाग पर निहो सिटी का चौराहा निर्मित पाया गया, जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र नियमित आकार में नहीं दर्शाया गया है, जिससे निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है। इस हेतु मानचित्र में नियमानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। 5. आवेदित भूमि के मध्य दर्शाया गया खसरा संख्या 172/2, 176/1 को नियमित पहुंच मार्ग तथा उक्त खसरों को छोडते हुये सडक प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित है। 6. आवेदित भूमि जोजरी नदी के समीप होने के कारण सिंचाई विभाग से एचएफएल रिपोर्ट तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, तथा प्रभावित क्षेत्र उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोडी जानी प्रस्तावित है। 7. आवेदित भूमि के समीप स्थित अनुमोदित कॉलोनी की पत्रावली अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में नियोजन की दृष्टि से सडक आदि की जांच किया जाना अपेक्षित है। 8. टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार 100 मीटर दूरी तक 9 मीटर तदुपरान्त 12 मीटर व अधिक सडक टाउनशिप पॉलिसी अनुसार प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत ले–आउट अनुमोदित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार बिल्डिंग प्लान एवं प्रोजेक्ट अनुमोदन पृथक से करवाया जाना होगा। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा डीपीआर जोन/अभियांत्रिकी शाखा में प्रस्तुत की जावे। 3. प्रकरण में आवेदित भूमि के समीप अनुमोदित योजना निहो सिटी अनुमोदन के समय रोड नेटवर्क निर्धारित किया जा चुका है, तथा आवेदित भूमि में निहो सिटी का चौराहा निर्मित पाया गया। अतः रोड नेटवर्क आदि यथावत रखे जावे। 4. आवेदित भूमि की तरमीम की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 5. आवेदित भूमि में से गुजरने वाली मास्टर प्लान की प्रस्तावित 160 फीट सडक निःशुल्क प्राधिकरण हक में समर्पित की जावे। 6. आवेदित भूमि के मध्य स्थित अन्य खसरों को न्यूनतम 40 फीट मार्ग उपलब्ध करवाया जावे। 7. आवेदित भूमि नदी के सहारे स्थित होने के कारण सिंचाई

			विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे। तथा प्रभावी क्षेत्र के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोडी जावे। 8. प्रस्तुत मानचित्र में सुविधा क्षेत्र नियमित आकार में नहीं छोडा गया है, जिससे निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है। अतः नियमानुसार संशोधन किया जावे। 9. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 10. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल संख्या 3 बी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः नियमानुसार 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र व 05 प्रतिशत पार्क रखा जावे। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 13. उक्त ले–आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने पर पुन समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा।

(डॉ. महेन्द्र सिंह राठौड)
अध्यक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(अरूण पुरोहित)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(सुखराम चौधरी)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्रवण सिंह)
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(चंचल वर्मा)
उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(अनिल पुनिया)
उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(राकेश शर्मा)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः F37(2)/नि.आ./ बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018/4883-4888 दिनांकः– 05/10/2018

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी जो.वि.प्रा. को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 08/2018 वीं बैठक दिनांक 03.10.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	संयोजक
3.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर।	सदस्य
6.	श्री अनिल पूनिया, उपायुक्त (उतर), जो.वि.प्रा., जोधपुर।	सदस्य
7.	श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर।	सदस्य
8.	श्री श्रवणसिंह राजावत (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर।	सदस्य
9.	श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)